

**Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand**



DIPP Point No. 233

Question	Remarks
8h. Registration for Entertainment Tax Q: Define clear timelines mandated through legislation for approval of complete application	Jharkhand entertainment tax rules 2013 (3.e)

JHARKHAND ENTERTAINMENT TAX RULES, 2013

S.O. No. 14 Dated the 13th July, 2013--In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Jharkhand Entertainment Tax Act, 2012 (Jharkhand Act, 13, 2012), the Governor of Jharkhand hereby makes the following Rules:-

1. **Short titles and Commencement-**
 - (i) These rules may be called the "Jharkhand Entertainment Tax Rules, 2013".
 - (ii) These Rules shall come into force from the date of its notification.
2. **Definitions.** - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

3. **Application for registration.** -(1) An application for registration under section 6 shall be -

24

झारखण्ड गजट (असाधारण), सनिवार 13 जुलाई, 2013

- (a) made to the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes officer, in-charge of the Circle or Sub-circle, as the case may be, in Form JENT-101 [for in case of Cable Television Operator and Direct to Home (DTH) Service Provider, in Form JENT-102;] within thirty days from the date of his becoming liable for payment of tax under that or within forty five days after the commencement of these Rules.
- (b) Signed, as applicant, by the Assessee/Proprietor of the entertainment; or in the case of a firm, by the partner authorized to act on behalf of the firm; or in the case of a Hindu Undivided family, by the karta; or in the case of a company incorporated under the Indian Companies Act, 1956 or a Corporation constituted under any law, by a director or principal officer or Chief Executive Officer, duly authorized by Boards of Directors, thereof, or in case of a Society, Club or Association of persons or a Department of Government or local authority or any other institution, by the principal Executive officer or Officer-in Charge thereof;
- (c) accompanied by the proof of deposit of fee prescribed by rule 36;
- (d) The registering authority after receiving the said application, shall issue a receipt for the application of registration.
- (e) **Where the registering authority is satisfied, that the information furnished by him in application in Form JENT 101 or JENT 102 is true and correct, and that the Assessee/Proprietor is genuine, he shall subject to Rule 4, issue to the Assessee/Proprietor a Registration Certificate in Form JENT 106 and JENT 107, as the case may be, within five days from the date of filing of such applications, and allot him a eleven digit registration number, which shall have the number the state code, the computer generated two digit code, the circle code, forty five, followed by the three digit registration number.**

**Timeline for
issuance of
Entertainment Tax
registration
certificate**

SUPPORTING DOCUMENT



IR:eso

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

la;k 489

22 आषाढ़, 1935 शकाब्द

राँची, शनिवार 13 जुलाई, 2013

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

13 जुलाई, 2013

झारखंड मनोरंजन कर नियमावली, 2013

एस0ओ0 13 दिनांक 13 जुलाई, 2013—झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 (झारखण्ड अधिनियम, 13, 2012) की धारा 27 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नवत् नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रसार —

- यह नियमावली “झारखंड मनोरंजन कर नियमावली, 2013” कही जाएगी।
- यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त (लागू) होगी।

2. परिभाषाएँ इन नियमों में, जब तक कि वहाँ कुछ भी विषय या संदर्भ के विरुद्ध है—

- “अधिनियम” से अभिप्रेत है, “झारखंड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012” है।
- “अंचल” से अभिप्रेत है, एक निर्धारिती के सम्बंध में, वाणिज्य—कर के प्रशासन की एक इकाई जिसे झारखंड राज्य में माल की खरीद एवं बिक्री से

- संबंधित, कानून से सम्बंधित प्रावधानों के अंतर्गत बनाया गया है, जिसको वर्तमान समय के लिए लागू किया जा रहा है, स्थानीय सीमाओं के अंदर जहां निर्धारिती का मनोरंजन का स्थान स्थित है।
- (सी) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रपत्र
- (डी) "पाक्षिक" से अभिप्रेत है, एक पखवाड़ा जो जोरजियन कैलेंडर के अनुसार महीने के 15वें दिन या एक माह के अंतिम दिन को समाप्त हो जाता है।
- (ई) "सरकारी कोषागार" से अभिप्रेत है निर्धारिती/मालिक के संबंध में ज़िले या उप प्रमण्डल की एक कोषागार या उप उपकोषागार, जैसा भी मामला हो, जहां उसके मनोरंजन का स्थान स्थित है या उपकोषागार जो उसको स्वीकृत निबंधन के प्रमाण पत्र में नियम 5 कं अंतर्गत निर्दिष्ट है
- (एफ) "निरीक्षी अधिकारी" से अभिप्रेत है, वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर अधिकारी (जिनको यहां के लिए संदर्भित किया गया है - उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी जो अधिनियम या नियमावली के किसी या सभी प्रावधानों का निरीक्षी पदाधिकारी या सक्षम पदाधिकारी का कर्त्तव्य निर्वहन करे।
- (जी) "विहित प्राधिकारी" जब तक अन्यथा निर्दिष्ट हो, से अभिप्रेत है उपायुक्त, सहायक आयुक्त या अंचल या उप-अंचल के वाणिज्य-कर अधिकारी।
- (एच) "तिमाही" से अभिप्रेत है, एक वर्ष के 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, या 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाही
- (आई) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा
- (जे) "उपअंचल" से अभिप्रेत है एक निर्धारिती से सम्बंधित, झारखंड राज्य में वर्तमान समय के लिए, वाणिज्य कर के प्रशासन की एक इकाई जिसे को झारखंड राज्य में माल की खरीद से संबंधित कानून से सम्बंधित प्रावधानों के अंतर्गत बनाया गया है, जिसको वर्तमान समय के लिए लागू किया जा रहा है, स्थानीय सीमाओं के अंदर जहां निर्धारिती का मनोरंजन का स्थान स्थित है।
- (के) "कर" से अभिप्रेत है अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कर।
- (एल) "कोषागार पदाधिकारी" से अभिप्रेत है कोषागार पदाधिकारी या सहायक कोषागार पदाधिकारी या उपकोषागार पदाधिकारी के संबंध में कोषागार पदाधिकारी या उप कोषागार जो नियम 5 के अंतर्गत निबंधन प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट है
- (एम) "न्यायाधिकरण" से अभिप्रेत है जो झारखंड राज्य में माल की खरीद या बिक्री पर कर से संबंधित कानून से सम्बंधित प्रावधानों के अंतर्गत बनाया गया है, जिसको वर्तमान समय के लिए लागू किया जा रहा है।
- (एन) "सप्ताह" से अभिप्रेत है दिन बुधवार से शुरू वाला सप्ताह।
- (ओ) "वर्ष" से अभिप्रेत है एक वित्तीय वर्ष।
- शब्द और भाव जिनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन नियमों में परिभाषित नहीं उसका अभिप्रेत है सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में उन्हें सौंपा गया, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990, भारतीय टेलीग्राफ कर अधिनियम, 1985, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933, झारखंड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012, झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 और इसके बाद बनाए गए नियमावली।

निबंधन

3. निबंधन के लिए आवेदन – (1) धारा 6 के अंतर्गत एक निबंधन के लिए आवेदन होगा –

(ए) उपायुक्त, सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंचल या उप अंचल के प्रभारी के लिए बनाया गया।

जैसा भी मामला हो, प्रपत्र जेईएनटी-101 (केबल टेलीविजन ऑपरेटर के मामले में और सीधे घर के मामले में (डीटीएच) सेवा प्रदाता, फार्म जेईएनटी-102) कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनने की तारीख से 30 दिनों के अंदर या इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद या इन नियमों के लागू होने के 45 दिनों के अंदर,

(बी) मनोरंजन के निर्धारिती/मालिक द्वारा या एक फर्म के मामले में फर्म की ओर से कार्य करने के लिए फर्म की ओर से कार्य करने वाला भागीदार या एक हिंदु अविभाजित परिवार के मामले में, कर्ता द्वारा या एक भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी, 1956 के मामले में या एक निगम के किसी भी कानून के अंतर्गत एक निर्देशक या प्रिंसिपल अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको निदेशकों के बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किया है, या एक सोसायटी के मामले में गठित क्लब या व्यक्तियों की एसोसिएशन या सरकार का एक विभाग या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य संस्था, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी द्वारा या उसके प्रभारी अधिकारी द्वारा आवेदक के रूप में हस्ताक्षर किया गया हो

(सी) नियम द्वारा निर्धारित शुल्क को जमा करने के सबूत के साथ

(डी) प्रार्थना प्राप्त करने के बाद निबंधन प्राधिकारी, निबंधन के आवेदन के लिए एक रसीद जारी करेगा।

(ई) जहाँ निबंधन प्राधिकारी संतुष्ट है, कि प्रपत्र जेईएनटी-101 या प्रपत्र जेईएनटी-102 में आवेदन में उसके द्वारा भेजी गई जानकारी सत्य और सही है, और कि निर्धारिती/मालिक असली है, वह निर्धारिती के लिए नियम 4 के अधीन, निर्धारक/मालिक को प्रपत्र जेईएनटी-106 और प्रपत्र जेईएनटी-107 में एक निबंधन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जैसा भी मामला हो, इस तरह के आवेदन पत्र दाखिल करने की तारीख के पांच दिनों के अंदर और उसे ग्यारह अंक निबंधन संख्या आवंटित करेगा, जिसका राज्य कोड आवंटित से हो सकता है, कंप्यूटर दो अंकों का कोड, अंचल कोड, पैंतालीस, जो उसके बाद तीन अंकों की निबंधन संख्या से अनुसरणित होगा।

बशर्ते कि निर्धारिती/मालिक मनोरंजन को एक से अधिक जगह होने पर आवेदक को मनोरंजन की हर ऐसी जगह के संबंध में अलग – अलग आवेदन करना होगा।

(2) इस स्थिति में निर्धारिती/मालिक वाणिज्य-कर के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में निबंधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक बनाएगा, डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत या किसी डिजिटल हस्ताक्षर के बिना निबंधन के लिए इस तरह के आवेदन को उस वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा दायर किया जा सकता है और उस में चरणों/निर्देशों का अनुसरण करें, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए विकसित सॉफ्टवेयर में निहित निर्देशों का।

(ए) आवेदक, इस आवेदन के संबंध में आगे के संदर्भ के लिए पावती नंबर प्राप्त करेगा।

(बी) इसके पश्चात कथित इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग सत्यापित किया जाएगा और आवेदक को दो दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा आवश्यक दस्तावेज

- के साथ विहित प्राधिकारी के सामने उपस्थित हाने के लिए सूचित किया जाएगा।
- (सी) ऐसी निर्धारित तिथि पर आवेदक प्रतिभूति के रूप में नियम 4 के अंतर्गत जैसी आवश्यकता है, आवेदन प्रस्तुत करेगा और जेईएनटी-101 और जेईएनटी-102 में आवेदन की हार्ड कॉपी भी फाइल करेगा, जैसा भी मामला हो, इस नियम के उप-नियम (1) के खण्ड (बी) के अधीन जैसी आवश्यकता है आवश्यक शुल्क और एक शपथ पत्र के साथ, विधिवत जमा और हस्ताक्षरित कर, यह प्रमाणित करते हुए कि में कथित आवेदन फार्म जेईएनटी-101 और जेईएनटी-101 की सामग्री सत्य और सही है,
- (डी) विहित प्राधिकारी संतुष्ट होने पर नियम 4 और इस नियम के उप नियम (1) की धारा (ई) के अधीन, फार्म जेईएनटी-106 और जेईएनटी-107 में, जैसा भी मामला हो, फार्म जेईएनटी-101 और जेईएनटी-102 में विधिवत जमा की गई और हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी के जमा किए जाने के बाद और इस उप नियम की धारा(सी) के अंतर्गत जमा किए गए ऐसे दूसरे दस्तावेज। **स्पष्टीकरण** – इस नियम के प्रयोजन से छुट्टी को एक दिन के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा।
- (ई) इस नियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, उन से अलग जो इस नियम में एक आवेदन जमा करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक विधि निबंधन प्राप्त करने के लिए एक मापदंड है निर्धारित कर सकता है,
- (3) जहां निबंधन प्राधिकरण आवेदक द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है और विश्वास करने का कारण है कि आवेदक निबंधन के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, किसी भी आदेश को पारित करने से पहले वह उस को सुने जाने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस तरह मना करने के लिए इनकार के कारणों को निर्दिष्ट करेगा, या निबंधन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऐसा इनकार और इसके लिए वह प्रपत्र जेईएनटी-401 में एक नोटिस जारी करेगा
- (4) निबंधन प्राधिकारी मनोरंजन का नाम और शैली, कर-दायित्व के प्रारंभ की तिथि और आवेदक का नाम और पता प्रविष्ट करेगा।
- (5) उप नियम (1) और उपनियम (2) में वर्णित निबंधन के लिए आवेदन में निहित पूरी जानकारी कंप्यूटर/पंजी में ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दो दिनों के भीतर प्रविष्ट की जाएगी
- (6) हर निबंधित निर्धारिती/मालिक जेईएनटी-105 फार्म में इस तरह के कारोबार प्रबंधक की दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो के साथ अपने व्यवसाय प्रबंधक का नाम घोषित करेगा।
- (7) इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, क्रम से इलेक्ट्रॉनिक तरीकों और स्वचालन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित प्रावधान, इलेक्ट्रॉनिक आरोपण सहित और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रेषण और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, का प्रेषण और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, मानदंड निर्धारित कर सकते हैं और जब तक यह संभव हो सकें, कथित इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं पर लागू करें
- (8) जहां किसी भी सूचना या संचार को किसी भी स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली पर तैयार किया जाता है और ठीक से किसी भी निर्धारिती/मालिक या व्यक्ति पर पहुंचाया गया है, तो तब कथित सूचना या संचार के लिए

- किसी भी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किये जाना की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसी सूचना या संचार को केवल इस आधार पर बेकार नहीं समझा जाएगा कि यह व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
- (9) विभागीय इलेक्ट्रानिक प्रणाली के समुचित प्रचालन के लिए, निरसित बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 और निरसित झारखंड मनोरंजन कर अध्यादेश, 2012 (झारखंड अध्यादेश संख्या 02, 2012) में सभी निबंधन निर्धारिती/मालिक, को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यक प्रपत्र जेईएनटी-101 और जेईएनटी-102 में है, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के प्रारंभ और पंजीयन प्राधिकार से तीस दिनों के अंदर हो सकता है, जो उप-धारा (1) (ई) और (2)(डी) के अंतर्गत इस नियम के प्रावधानों के अंतर्गत है, जैसा भी मामला हो प्रपत्र जेईएनटी-106 और जेईएनटी-107 में निबंधन प्राधिकारी निर्गत करेंगे।
- 4. निर्धारिती/मालिक द्वारा प्रतिभूति जमा किया जाना –** (1) जहां निबंधन प्राधिकारी आदेश द्वारा, धारा 7 के अंतर्गत किसी भी निर्धारिती/मालिक को प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता है, यह उस तारीख से एक सप्ताह के अंदर होगा जिस तारीख से ऐसा आदेश निर्धारिती/मालिक पर सेवित किया जाता है
- (2) इस तरह के प्रतिभूति, निबंधन प्राधिकरण की संतुष्टि के अंतर्गत है, वह निम्न तरीकों में से किसी एक में निर्धारिती/मालिक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् –
- (ए) सरकारी कोषागार में ऐसी राशि जमा नकदी द्वारा, या
- (बी) डाकघर की विभिन्न योजनाओं में इस तरह की राशि जमा करने और जमा के ऐसे प्रमाणपत्र गिरवी रखकर और उस के साथ ही कथित अधिकारी के पास जमा कर के या
- (सी) कथित अधिकारी को एक राष्ट्रीयकृत बैंक की गारंटी जो इस सम्बंध में कथित अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, की सहमति देगा कि राज्य सरकार के मांगने पर भुगतान की राशि जो उस अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है का भुगतान किया जाएगा।
- बशर्ते कि ऐसी सुरक्षा हर पांच साल में एक बार प्रस्तुत की जाए।
- (3) कथित अधिकारी किसी भी समय अपनी संतुष्टि के लिए, इस सम्बंध में प्रस्तुत की गई राशि को घटा या बढ़ा सकता है।
- 5. निबंधन की द्वितीयक प्रति –** (1) यदि उप नियम (1) (ई) और उप नियम (2) 3 (डी) के अंतर्गत निबंधन प्रमाणपत्र खो, नष्ट, निरूपित या अस्पष्ट हो जाता है, निर्धारिती/मालिक तुरंत तथ्य की रिपोर्ट निबंधन प्राधिकारी के पास करेगा और कथित अधिकारी ऐसे निर्धारिती/मालिक द्वारा दिए गए आवेदन पर और नियम 36 में निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर उसे निबंधन प्रमाणपत्र की एक द्वितीयक प्रति निर्गत करेंगे।
- (2) यदि निबंधन के मूल प्रमाण पत्र के विरूपित होने की सूचना दी गई है या अस्पष्ट हो गया है, विरूपित या अस्पष्ट प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जारी करने के आवेदन के साथ लौटा दी जाएगी
- (3) इस उप नियम के अंतर्गत निर्गत किया गया प्रतिलिपि प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से द्वितीयक प्रतिलिपि चिह्नित किया जाएगा

6. **निबंधन का संशोधन** – (1) यदि निर्धारिती किसी भी मनोरंजन को बेचता या अन्यथा ऐसे मनोरंजन के अपने कारोबार या ऐसे कारोबार के किसी भी भाग को समाप्त कर देता है या प्रभावित या मालिकाना नाम या शैली या प्रकृति या सीमा में किसी अन्य परिवर्तन के बारे में पता चलता है, तो उसकी मृत्यु के बाद वह स्त्री या वह पुरुष, मामले में अपने कानूनी प्रतिनिधि, ऐसी बिक्री, निपटान, या परिवर्तन के सात दिनों के भीतर उस प्रभाव की एक रिपोर्ट निबंधन के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा जो नियम 3 के उपनियम (1)(ई) और (2)(डी) के अंतर्गत नियम 3 में वर्णित निबंधन अधिकारी को निबंधन के प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए देगा।
- (2) निर्धारिती कोई बदलाव या सीटों की संख्या में परिवर्तन या शो की संख्या में या प्रवेश शुल्क की दर में संशोधन करने के लिए इच्छुक है तो वह इस प्रभाव की एक रिपोर्ट उपनियम (1)(ई) और (2)(डी) के अंतर्गत प्रदान किए गए निबंधन के प्रमाण पत्र के साथ, निबंधन अधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों या संशोधन की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले देगा, और जब तक, कथित प्राधिकारी इसे मंजूरी देता है और निबंधन के प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन करता है, इस प्रत्येक बदलाव और नवीनीकरण निर्धारिती द्वारा प्रभावित नहीं किए जाएंगे बशर्ते कि, अगर निर्धारिती इस उप नियम की अवहेलना करता है तो निबंधन का प्रमाण पत्र जो नियम 3 के उपनियम (1)(ई) और उपनियम (2)(डी) के अंतर्गत प्रदान किया गया है उस सीमा तक लागू नहीं होगा और इस तरह के मामले में, यह माना जाएगा कि उस ने धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत निबंधन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में उस सीमा का उल्लंघन किया है।
- (3) निर्धारिती/मालिक जेईएनटी-103 प्रपत्र में तीस दिनों के अंदर इस तरह की जानकारी निबंधन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा
- (4) निबंधन के प्रमाण पत्र के साथ और नियम 36 में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इस तरह की जानकारी प्राप्त होने पर पंजीयन प्राधिकारी, इस तरह की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह ठीक समझता है, के बाद निबंधन के प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन करेगा, और ऐसे संशोधन निबंधन के प्रमाण पत्र में निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे।
7. **निबंधन प्रमाण पत्र का रद्दीकरण** – (1) यदि एक मनोरंजन निर्धारिती इस तरह के व्यापार या मनोरंजन के स्थान को बंद करता है या ऐसे स्थान को परिवर्तित करता है तो ऐसे स्थान को बंद करने या मनोरंजन के स्थान के परिवर्तन के सात दिनों के भीतर नियम(1) के उपनियम (1)(ई) और उपनियम (2)(डी) के अंतर्गत निर्गत प्रमाण पत्र को रद्द करने का आवेदन निबंधन अधिकारी को जमा करेगा, जो प्रपत्र जेईएनटी-104 में होगा
- (2) जहां निबंधन प्राधिकारी निर्धारिती/मालिक या उनके अधिकृत एजेंट या अन्यथा से उप-नियम के तहत निबंधन का प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए एक आवेदन उप नियम(1) के अंतर्गत प्राप्त करता है, संतुष्ट है, कि किसी भी निर्धारिती/मालिक के निबंधन प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए, वह इस तरह की जांच करने के बाद जैसी वह आवश्यक समझता है, वह निर्धारिती के निबंधन के प्रमाण पत्र को उसके या उसके द्वारा निर्धारित तिथि के प्रभाव से रद्द करेगा।

- (3) जहां उप नियम (1) में निर्धारित निबंधन प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि किसी भी निर्धारिती ने जानबूझ कर अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है या धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों का पालन करने में विफल रहा है या धारा 4 के अंतर्गत आवश्यक प्रतिभूति की राशि का भुगतान करने में असफल रहा है या निर्धारिती नियम 19 के अंतर्गत समेकित कर की राशि का भुगतान करने में विफल रहा है या नियम 28 के अंतर्गत आवश्यक अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहा है तो निर्धारिती/मालिक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, निर्धारिती/मालिक को ग्रांट किए गए निबंधन प्रमाण पत्र को उसके द्वारा या उसके ओर से निर्धारित तिथि से रद्द कर सकता है।

मनोरंजन के घंटे और प्रवेश के लिए टिकट

8. . **मनोरंजन के घंटे** – (1) मनोरंजन का प्रत्येक निर्धारिती/मालिक, घंटे, जगह, और मनोरंजन की प्रकृति के बारे में मनोरंजन के प्रारंभ से पहले कम से कम चौबीस घंटे या ऐसे घंटों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन, जगह और प्रकृति के संबंध में विहित प्राधिकारी को संचारित करेगा
- (2) एक मनोरंजन के अस्थायी निलंबन या बंद करने, प्रवेश के लिए दरों में और इस के बाद मनोरंजन कर की राशि, के बारे में कोई जानकारी, मनोरंजन के परिसर के एक विशिष्ट स्थान में प्रदर्शित की जाएगी और वही साथ साथ विहित प्राधिकारी को सूचित की जाएगी
- (3) प्रत्येक मालिक या किसी भी थिएटर हॉल या परिसर का अन्य व्यक्ति, जो उसी को बाहर एक मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए ही देता है, उपनियम (1) में वर्णित अधिकारी को मनोरंजन के प्रारंभ से कम से कम तीन दिनों पहले सूचित करेगा और स्पष्ट रूप से मनोरंजन, निर्धारिती/मालिक का नाम और पता और इस तरह के मनोरंजन के आयोजित किए जाने के प्रस्ताव की तारीख और समय प्रविष्ट करेगा। किसी भी हालत में वह उक्त उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रयोजन के लिए किराए पर नहीं देगा, जब तक कि बाद वाला, धारा 6 या धारा 9 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है या अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत उस ने समेकित कर का भुगतान कर दिया है।
9. **प्रवेश हेतु टिकट** – (1) एक टिकट तीन भागों के आयताकार आकार में होगी, जिसको इस के बाद पन्नी कहा जाएगा, जिसको टिकट की प्रत्येक पहली पन्नी और दूसरी पन्नी और तीसरी पन्नी के बीच एक खड़ी रेखा द्वारा पहचाना जाएगा। टिकट की प्रत्येक पन्नी, पहली पन्नी को प्रतिपण पुस्तक में संरक्षित किया जाएगा और अन्य दो पन्नियों को मनोरंजन को अधिकृत और की पुष्टि करने के लिए प्रवेश के उद्देश्य से जारी किया जाएगा। फाटक के लिए और आगंतुक के लिए बड़े शब्दों में, क्रमशः दूसरे और तीसरे पन्नी के ऊपरी हिस्से पर मुद्रित किया जाएगा
- बशर्ते कि वहाँ पूरक टिकट की अलग श्रेणियां होंगी और इस तरह के टिकट की हर पन्नी के शीर्ष पर, बड़े अक्षरों में पूरक शब्द भी मुद्रित किया जाएगा

परंतु यह भी कि वहाँ एक मनोरंजन देयता से छूट प्राप्त करने के लिए इस संबंध में जारी अधिसूचना द्वारा और ऐसे टिकट की हर पन्नी के शीर्ष पर मनोरंजन कर का भुगतान करने के लिए प्रवेश टिकट की अलग श्रेणी के शब्द कर मुक्त बड़े शब्दों में भी मुद्रित किया जाएगा,

- (2) एक टिकट की प्रत्येक पन्नी, मनोरंजन के नाम, वर्ग जिस के लिए जो यह प्रवेश को प्राधिकृत करता है, तारीख और पता जिसके लिए यह वैध है, प्रवेश के लिए भुगतान की दर और मनोरंजन कर और अधिभार की राशि यदि कोई हो को दिखाएगा।

‘बशर्ते कि एक पूरक टिकट को प्रवेश के लिए भुगतान की दर दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मनोरंजन कर और अधिभार की राशि दिखाएगा, अगर किसी भी क्लास के लिए जिम्मेदार है जिस से यह पूरक टिकट सम्बंधित है परंतु यह भी कि दायित्व से मुक्त रखा, दिखाने के लिए प्रवेश के लिए एक टिकट के लिए मनोरंजन कर का भुगतान करने के लिए मनोरंजन कर या अधिभार की राशि, जो प्रभार्य नहीं है को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रवेश के लिए भुगतान की दर दिखाएगा।

10. मनोरंजन की श्रृंखला के लिए सीजन टिकट

हर सीजन टिकट और हर टिकट और मनोरंजन की एक श्रृंखला के लिए प्रवेश के अधिकार के लिए या किसी भी विशेषाधिकार, अधिकार, सुविधा, या किसी भी मनोरंजन के लिए प्रवेश के अधिकार के साथ कुछ जोड़ने के लिए, मनोरंजन का नाम, व्यक्ति का नाम, जिसके नाम से टिकट जारी की गई है और अवधि जिसके लिए यह उपलब्ध है चिन्हित होगा

11. **टिकटों की छपाई से संबंधित स्थितियां.** – (1) प्रत्येक क्लास या प्रकार के टिकट में भेद करने के लिए, यह अलग अलग रंग के कागज या स्याही के विभिन्न रंगों में मुद्रित किया जाएगा।

- (2) शो के अनुसार टिकट होंगे और वहाँ हर क्लास के लिए टिकटों की अलग पुस्तकें होंगी। प्रत्येक वर्ग के टिकट सीरियल नंबर या तो मशीन मुद्रित या कम्प्यूटरीकृत होंगे, जहां ऐसी इलेक्ट्रॉनिक विधि से टिकटों तैयार हो रही हैं। इस तरह के सीरियल नंबर 000001 से 1,00,000 तक के लिए और इसे चक्र में दोहराया जाएगा और टिकटों की प्रत्येक श्रृंखला का भेद वर्णमाला के एक और अक्षर द्वारा किया जाएगा।

- (3) इसके अलावा, इस नियम के अंतर्गत 9 और 10 नियमों के अंतर्गत आवश्यक विवरण, प्रेस का नाम व पता, मुद्रित क्लास और छपाई की तारीख के टिकट की कुल संख्या भी प्रत्येक टिकट पन्नी के तल पर मुद्रित की जाएगी।

- (4) टिकट, प्रत्येक 25 टिकट की जिल्द बंधी किताबों में रखी जाएगी

12. **मुद्रित टिकट के संबंध में विवरणी**— हर निर्धारिती/मालिक विहित प्राधिकारी को, मुद्रित या प्रस्तुत टिकट के संबंध में विधिवत हस्ताक्षरित विवरणी प्रस्तुत करेगा। इस तरह का विवरणी फार्म जेईएनटी-201 में होगा और ऐसे टिकटों के उपयोग में लाये जाने से कम से कम एक सप्ताह पहले तैयार किया जाएगा

13. **टिकट का प्रमाणीकरण** – (1) कोई भी टिकट तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक विहित प्राधिकारी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आयुक्त

- द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा उप नियम (2) के अंतर्गत निर्धारित तरीकों में प्रमाणीकरण जारी नहीं किया जाता है।
- (ए) प्रत्येक निर्धारिती/मालिक एक जिल्द बंधे रजिस्टर में मुद्रित टिकटों का सत्य रेकॉर्ड रखेगा, जो जेईएनटी-302 फार्म में होगा। जैसे ही टिकटें निर्धारिती/मालिक द्वारा प्राप्त की जाती हैं पंजी में प्रविष्टियाँ पूरी की जाएंगी,
- (बी) निर्धारिती/मालिक प्रमाणीकरण के लिए कम से कम एक सप्ताह के लिए, आवश्यक टिकट फार्म जेईएनटी-302 के साथ विहित प्राधिकारी या किसी अन्य आयुक्त द्वारा प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (सी) इस से पहले कि टिकट प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, निर्धारिती/मालिक देय मनोरंजन कर की आगे की राशि का अग्रिम भुगतान करेगा और टिकट केवल उस सीमा तक प्रमाणिकृत होगी जहां तक कोषागार चालान द्वारा भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
- (डी) जब टिकट निर्धारिती/मालिक द्वारा प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित अधिकारी या उप नियम (2) के अंतर्गत आयुक्त द्वारा अधिकृत दूसरे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कथित अधिकृत अधिकारी ऐसे टिकटों पर मनोरंजन कर के भुगतान के सबूत की पुष्टि करेगा, विवरण को रजिस्टर में जेईएनटी-302 फार्म में प्रविष्ट करेगा जो कथित अधिकारी के कार्यालय में भी रखी जाएगी और प्रस्तुत की गई टिकटों को नीचे दिए गए एक या दोनों तरीकों से प्रमाणिकृत करेगा -
- (i) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एक यांत्रिक युक्ति द्वारा नियत प्रतीक के उत्कीर्णन द्वारा
- (ii) मोहर लगाने, हस्ताक्षर करने, और अपनी सरकारी मोहर चिपकाने
- (2) आयुक्त टिकटों के प्रमाणीकरण के संचालन का निर्वहन करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को या सामान्य रूप में या किसी भी निर्धारित क्षेत्र के लिए अधिकृत कर सकता है।
- बशर्ते कि यह विहित प्राधिकारी या अधिकारी के लिए वैध हो, विशेष रूप से टिकट के प्रमाणीकरण का काम आवंटित करने के लिए आयुक्त द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की उनके कार्यालय में नियुक्ति द्वारा
- 14. नियम 13 का प्रयोग -** नियम 13 के प्रावधान धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचित स्थानों में स्थित मनोरंजन के लिए लागू होंगे
- 15. टिकट के मुद्दे से संबंधित स्थितियां** (1) टिकटें जारी करने के समय -
- (ए) (i) जारी करने वाला क्लर्क अपना दिनांक आद्याक्षर टिकट की तीनों पन्नियों पर डालेगा।
- (ii) दो पन्नियां, अर्थात् आगुंतक के लिए या प्रवेश द्वार के लिए, जिनको प्रतिपर्ण से अलग कर दिया जाएगा और खरीददार को जारी कर दिया जाएगा।
- (iii) पुस्तक में के प्रतिपर्ण निर्धारिती/मालिक द्वारा संरक्षित कर लिए जाएंगे और निरीक्षण अधिकारी या विहित प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण या प्रस्तुतीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे प्रतिपर्णों को निर्धारिती/मालिक द्वारा संरक्षित रख जाएगा जबतक कि धारा 13 या 34 नियम के अंतर्गत मूल्यांकन अपनी परिसमाप्ति तक पहुँच जाता है।
- (बी) मनोरंजन की श्रृंखला के लिए उपलब्ध टिकट के अलावा अन्य टिकट धारक के प्रवेश पर, मनोरंजन के निर्धारिती/मालिक ऐसे धारक के टिकट द्वारपाल द्वारा एकत्रित करने का कारण होगा, जो अपने कर्तव्यों का पालन

- करने के लिए मनोरंजन के प्रवेश द्वार पर है। पन्नी जिस पर आगंतुक के लिए चिह्नित है, इस प्रकार एकत्रित किया गया है, धारक को मनोरंजन के प्रवेश द्वार पर वापस कर दिया जाएगा और दूसरी पन्नियां, जिसपर प्रवेश द्वार के लिए चिह्नित है शो की समाप्ति तक द्वारपाल के पास रहेंगी और उनको निर्धारिती/मालिक की निगरानी में मनोरंजन के बाद अगले दिन तक के लिए हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- (सी) विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध सीज़न टिकट के अलावा दूसरी टिकट धारक की प्रविष्टि पर, मनोरंजन का निर्धारिती/मालिक ऐसे धारक की टिकट को गेटकीपर द्वारा अकत्रित करने की व्यवस्था करेगा, जो मनोरंजन द्वार पर अपने कर्तव्यों का योग्य प्रदर्शन कर रहा है। टिकट की पन्नी जिसपर विजटर्ज के लिए चिह्नित है, जो धारक को मनोरंजन के प्रवेश द्वार पर वापस कर दी जाएगी और दूसरी पन्नी, जिसपर प्रवेश द्वार के लिए चिह्नित है द्वारपाल के पास शो के अंत तक रहेगी और उनको निर्धारिती/मालिक के संरक्षण में मनोरंजन के बाद दूसरे दिन तक रोक और संरक्षित रखने के लिए हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- (डी) निर्धारिती/मालिक, जैसा खंड(डी) में निर्धारित है, मनोरंजन में प्रत्येक प्रवेश द्वार पर जबतक कि शो चल रहा है द्वारपाल की उपस्थिति की व्यवस्था करेगा।
- नोट बुक में प्रविष्टियां अंतराल से पहले या शो के मध्यांतर तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूरी कर ली जाएंगी।
- (इ) द्वारपाल द्वारा एकत्रित फाटक के लिए चिह्नित टिकटों को क्रमवार व्यवस्थित किया जाएगा और उसके द्वारा उनका प्रविष्ट विवरण द्वारपाल पुस्तक का फार्म जेईएनटी-301 में प्रविष्ट किया जाएगा।
- (2) (ए) प्रत्येक क्लास और प्रत्येक शो के लिए टिकट एक समय में एक संबंधित किताब से बेचे जाएंगे और दूसरी पुस्तक उपयोग में केवल तब लायी जाएगी जब पहली पुस्तक समाप्त हो गयी है।
- (बी) किसी टिकट बुक का उपयोग दूसरे शो के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए यह वांछित है।
- (सी) एक टिकट जब उसको प्रतिपर्ण से अलग कर दिया गया है, के बाद उसको प्रतिपर्ण के साथ दोबारा चिकाया या स्टिच नहीं किया जाएगा, ना ही एक शो के लिए जारी की गई टिकट, को अगले शो के लिए अनुमति दी या प्रयोग की जाएगी।
- (डी) किसी भी टिकट की पन्नी, जो आगंतुक के लिए नहीं है, प्रवेश द्वार पर की पन्नी के बदले, प्रवेश द्वार पर रोक ली जाएगी।
- 16. शो का निलंबन** – जब निर्धारिती/मालिक के नियंत्रण से परे मनोरंजन के किसी भी शो को निलंबित कर दिया गया है और जहां उसके परिणाम में, दर्शकों को बेचे गए टिकट के पूरे मूल्य की प्रतिपूर्ति कर दी गई है, निर्धारिती/मालिक, प्रतिपूर्ति करने के बाद, ऐसे टिकटों की दूसरे और तीसरे प्रतिपर्ण को संबंधित नियम 3 में निर्धारित अधिकारी के पास शो के निलंबन के समय से 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कर देगा, और कर की राशि की वापसी का दावा करेगा जिसको उसने, ऐसी टिकटों पर, नियम 13 के उप नियम (3) की धारा के अंतर्गत भुगतान किया है और कथित अधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जैसी कि वह ठीक समझा है दावे की स्वीकृति दूसरे शो में समायोजन या ट्रेज़री अधिकारी को राशि की वापसी के लिए निर्देश देगा। दावे की स्वीकृति के बाद, ऐसा अधिकारी एक समर्थन आदेश शीट पर

श्रृंखला और ऐसी टिकटों की प्रत्येक क्लास की कुल संख्या और कर की वापस/समायोजित राशि के बारे में देगा। धन वापसी का आदेश फार्म जेईएनटी-13 पर होगा। बशर्ते कि इस नियम के प्रावाधान नियम 19 के अंतर्गत कर के बदले निश्चित मनोरंजन की अनुमति के सम्बंध में लागू नहीं होंगे।

17. **मनोरंजन का एक जगह के विभिन्न भागों के लिए स्थानांतरण**— इन नियमों में मनोरंजन के स्थान में प्रवेश के विषय में किसी भी संदर्भ को, या किसी भी व्यक्ति को जिसको मनोरंजन के स्थान पर प्रविष्ट कर लिया गया है, जहां तक हो सके, मनोरंजन के दूसरे भाग में प्रविष्टि के लिए, नहीं समझा जाएगा जिसमें प्रवेश के लिए कर या अधिक कर के भुगतान को शामिल करने की आवश्यकता है।

कर की गणना एवं अधिरोपण की विधि

18. **कर की गणना जब प्रवेश के लिए अन्य भुगतान विशेषाधिकार भी शामिल है** — (1) जहां एक मनोरंजन या मनोरंजन की एक श्रृंखला के लिए भुगतान एक मुश्त राशि, सदस्यता या योगदान के रूप में भुगतान की जाती है, और जहां इस तरह के भुगतान विशेषाधिकार या अधिकारों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सक्षम बनाते हैं। निर्धारित/मालिक आयुक्त या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसको राज्य सरकार द्वारा, या तो सामान्य तौर पर या किसी भी विनिर्देशन के लिए किसी भी अधिकारी के माध्यम से जैसा कि नियम 3 में निर्धारित है, ऐसी राशि को निश्चित करने के लिए सशक्त बनाया गया है, ऐसी राशि जैसी उसको दिखाती है, मनोरंजन में प्रवेश के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने और ऐसे भाग पर देय योग्य कर की राशि।
- (2) आवेदन के साथ, निर्धारित/मालिक वसूली गई राशि, मनोरंजन की प्रकृति, और उनके लिए प्रवेश की दर जिन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की या योगदान नहीं किया और अधिकारों की प्रकृति या अन्य विशेषाधिकारों जिसके लिए एक सदस्यता लेने या योगदान करने वाला व्यक्ति पात्र है, नियमों और विनियमों की एक प्रति के साथ उससे संबंधित, सदस्यता लेने या योगदान करने वाले व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करेगा,
- (3) नियम 2 (g) में विहित प्राधिकारी, आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह ठीक समझता है, आवेदन को आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है को अपनी रिपोर्ट के साथ अग्रसारित करेगा। रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उपायुक्त या या किसी अन्य अधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है, ऐसी जांच करने के बाद, अगर कोई है, जैसा वह ठीक समझता है, जो उसको लगता है कि मनोरंजन में प्रवेश के अधिकार का प्रतिनिधित्व करेगी और धारा 3 की उप - धारा (2) के अंतर्गत देय कर की राशि को निश्चित करेगा
- (4) आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी जिसको राज्य सरकार द्वारा उप नियम 3 के अंतर्गत सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है, द्वारा निश्चित की गई कर की राशि के नियम (3) के अंतर्गत किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र लिए, निर्धारित/मालिक द्वारा देय कर

की राशि निश्चित करने वाले आदेश की पावती की तिथि के सात दिनों के अंदर भुगतान की जाएगी।

19. **अधिनियम के तहत देय कर के एवज में निश्चित राशि का भुगतान—** (1) निर्धारिती/मालिक जो यौगिक देय कर का इच्छुक है अधिनियम के अंतर्गत, उसके बदले में एक निश्चित राशि भुगतान करने पर, जेईएनटी-108 फार्म में आयुक्त या आयुक्त के किसी अन्य अधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा उप नियम 3 के अंतर्गत विहित अधिकारी के माध्यम से जिसको सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है, कम से कम यौगिक कर की इच्छा के लिए मनोरंजन प्रारंभ होने के 14 दिन पहले आवेदन करेगा
- (2) आवेदन की प्राप्ति पर, उप नियम (1) में विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह ठीक समझता है आवेदन को आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को जिसको राज्य सरकार द्वारा उप नियम 3 के अंतर्गत विहित अधिकारी के माध्यम से सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है, प्रमाण के बाद, जैसा कि प्रस्तुत किया जाएगा, निर्धारिती/मालिक को निश्चित राशि धारा 3 की उप धारा(2) के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है और फार्म जेईएनटी-302 में एक प्रमाण पत्र निर्धारिती/मालिक को जारी कर सकता है और निर्धारिती/मालिक उसमें निर्दिष्ट सभी नियम और शर्तों का पालन करेगा। बशर्ते कि जेईएनटी-100 फार्म में अनुमति प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार निश्चित राशि के भुगतान में चूक, ऐसी अनुमति को रद्द कर देगी या ऐसी चूक की तिथि से प्रमाण पत्र और ऐसे मामले में अधिनियम के सामान्य और नियम ऐसे निर्धारिती/मालिक पर लागू होंगे।
- (3) अनुमति या फार्म जेईएनटी-109 में प्रमाण पत्र की वैधता के दौरान जब तक कि निर्धारिती/मालिक आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को जिसको राज्य सरकार द्वारा उप नियम 3 के अंतर्गत सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों का पालन करता है, और उसके अनुसार भुगतान करता है तो खंड 8, खंड 12 और 13 के उप खंड(1) और नियम 11,12 और 15 ऐसे मनोरंजन के निर्धारिती/मालिक पर लागू नहीं होंगे।
- (4) उपनियम (2) के अंतर्गत अनुमति या प्रमाणपत्र केवल तिथि से ही प्रभावी हो जाएगा और उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ही लागू रहेगा
- (5) उपनियम (2) के अंतर्गत दिया गया प्रमाण पत्र मनोरंजन के परिसर के एक विशिष्ट भाग में प्रदर्शित किया जाएगा और मांग पर किसी भी निरीक्षण अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।
20. **केबल ऑपरेटरों (केवल टेलीविजन नेटवर्क संचालक एवं डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के बदले में एक निश्चित राशि का भुगतान—** धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत समेकित कर की देय राशि केबल ऑपरेटरों द्वारा भुगतान की जाएगी। केबल टेलीविजन नेटवर्क संचालक और डायरेक्ट टू होम प्रत्येक ग्राहक को दिया गया कनेक्शन सेवा प्रदाता के रूप में अनुसूची अधिनियम में निर्दिष्ट हैं।
21. **यांत्रिक युक्ति द्वारा नियंत्रित किये जाने वाले प्रवेश के मामलों में कर का भुगतान—** (1) एक निर्धारिती/मालिक किसी यांत्रिक युक्ति द्वारा प्रविष्ट

- परिणामों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए इच्छुक मालिक आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी जिस को जिसको राज्य सरकार द्वारा विहित अधिकारी के माध्यम से सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है, को नियम 3 के अंतर्गत फार्म 3 जेईएनटी 110 में निवेदन मनोरंजन के प्रारम्भ होने से 15 दिन पहले से कम नहीं, आवेदन देगा।
- (2) उपनियम (1) के अंतर्गत आवेदन के प्राप्त होने पर, उप नियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी, इस तरह की जांच करने के बाद जैसी वह ठीक समझता है आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त बनाया गया हो, उस को अपनी अनुशंसा के साथ अग्रसारित करेगा।
 - (3) आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्तिकृत किया गया हो, सामान्य तौर पर या किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, अगर ऐसी आगे की जांच के बाद संतुष्ट है, अगर कोई है, जैसा वह ठीक समझता है कि आवेदन अधिनियम के प्रावधानों और इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है वह उप नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती/मालिक को धारा 8 की उप धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है और फार्म जेईएनटी-111 में एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है
 - (4) निर्धारिती/मालिक यांत्रिक युक्ति के माध्यम से भर्ती व्यक्तियों के एक सत्य और सही खाते को बनाकर रखेगा और और रिटर्न जमा करेगा, जब और जैसे किसी भी निरीक्षण अधिकारी द्वारा इसकी आवश्यकता हो और उसको फार्म जेईएनटी-111 में दिए गए सभी निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करेगा।
 - (5) किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, किसी भी यांत्रिक युक्ति द्वारा प्रविष्ट नहीं होगा बशर्ते कि कर सहित प्रवेश की राशि दी गई हो। कर सहित ऐसी राशि, को एक विशिष्ट स्थान पर या यांत्रिक युक्ति के नज़दीक रखा जाएगा और तथ्य जो मूल्य कर सहित है को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (6) मनोरंजन के मूल्य पर प्रत्येक यांत्रिक युक्ति सभी उचित समय पर किसी भी निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।
 - (7) उपनियम (3) के अंतर्गत दिया गया प्रमाणपत्र मनोरंजन के परिसर के एक विशिष्ट भाग में प्रदर्शित किया जाएगा और मांग पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष पेश किया।
22. धारा 9 के अंतर्गत कर के भुगतान से छूट के लिए आवेदन— धारा 9 के अंतर्गत मनोरंजन कर के भुगतान से छूट के लिए एक आवेदन साधारण तौर पर कम से कम ऐसे मनोरंजन के 15 दिन पहले, नियम 2 (g) में निर्धारित अधिकारी को दिया जाएगा।

पंजी एवं विवरणी

23. जारी की गई टिकटों की पंजी — (1) निर्धारिती/मालिक प्रपत्र जेईएनटी-304 में जारी की गई सीज़न टिकटों का एक सत्य और सही हिसाब एक जिल्द बंधे रजिस्टर में रखेगा

- (2) प्रत्येक शो के संबंध में रजिस्टर में प्रविष्टियां उपनियम (1) में निर्धारित शो के प्रारम्भ के निर्धारित समय के एक घंटे के अंदर पूरी की जाएंगी।
24. **विवरणी** – प्रत्येक निर्धारिती/मालिक या उसकी ओर से उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति उसके बदले, एक विधिवत हस्ताक्षरित साप्ताहिक विवरणी जो फार्म जेईएनटी-304 में होगा, बाद के विलम्बित बुधवार तक, या सप्ताह के बाद जो इस से सम्बंधित है, निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा?
25. **केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालक केबुल ऑपरेटर एवं डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता के माध्यम से मनोरंजन कर के संबंध में विवरणी**— प्रत्येक निर्धारिती/मालिक या किसी भी केबल ऑपरेटरों के मालिक, संचालित केबल टेलीविजन नेटवर्क सीधे घर को, सेवा प्रदाता, कोई भी व्यक्ति जो उसके बदले उस के द्वारा अधिकृत किया गया हो नियम 3 में निर्धारित अधिकारी को एक विधिवत हस्ताक्षरित जिल्द बंधा रजिस्टर बाद के विलम्बित बुधवार तक, या सप्ताह के बाद जो इस से सम्बंधित है, प्रस्तुत करेगा
26. **निरीक्षण पुस्तिका** – (1) जब भी किसी भी निरीक्षण अधिकारी द्वारा आवश्यकता होगी मनोरंजन का निर्धारिती/मालिक टिकटों की बिक्री के सम्बंध में एक सत्य और सही विवरण को उप – नियम में निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करेगा।
- (2) विवरण दो प्रतियों में होगा और 100 पृष्ठों या उसके गुणकों की एक ही पुस्तक के रूप में रखा जायेगा।
- (3) निरीक्षण अधिकारी अपने निरीक्षण के नोट्स या टिप्पणी को, जैसा वह ठीक समझता है, रिकॉर्ड करने के लिए सक्षम होगा। विवरण की मूल प्रति निरीक्षण अधिकारी द्वारा ले ली जाएगी जिसको वह उचित कार्रवाई के लिए विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और प्रतिलिपि निरीक्षण और सत्यापन के लिए, अधिनियम या नियमों के प्रयोजन से निर्धारित अधिकारी द्वारा या के लिए संरक्षित की जाएगी।
- (4) प्रत्येक ऐसा विवरणी जेईएनटी-305 फार्म में होगा और निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले निर्धारिती/मालिक या इस संबंध में विधिवत निर्धारिती/मालिक द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

भुगतान

27. **कर निर्धारिती/मालिक द्वारा भुगतान** – प्रत्येक निर्धारिती/मालिक, सप्ताह के संबंध में जिसके लिए भुगतान बाकी हैं, सप्ताह के प्रारंभ के अगले दिन उसके पास देय कर की पूरी राशि का भुगतान करेगा।

- बशर्ते कि नियम, 2(g) में विहित प्राधिकारी लिखित रूप में रेकॉर्ड करने के लिए, किसी भी निर्धारिती/मालिक को किसी भी अवधि के सम्बंध में कर की एक राशि का, एक सप्ताह से कम, ऐसी अवधि में जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट हो सकता है भुगतान करने का निर्देश दे सकता है और उसी प्रकार वह किसी भी समय, ऐसे आदेश को रोक या संशोधित कर सकता है।
- 28. अग्रिम मनोरंजन कर का भुगतान** – अग्रिम में जमा किया जाने वाली आवश्यक कर की राशि, एक महीने के लिए अनुमानित कर से अधिक नहीं होगी। इस तरह के अनुमान को संभावित अनुमानित रसीदों के आधार पर, उस अवधि के लिए जिस सम्बंध में ऐसे अग्रिम कर के भुगतान करने की आवश्यकता है और अनुमान बनाने के लिए मनोरंजन की सीटों की क्षमता और किए जाने वाले प्रस्तावित शो की संख्या और ऐसी कोई और सामग्री जो अधिकारी की राय में, सम्बंधित हैं, ध्यान में रखी जाएगी।
- (3) उपनियम (1) के अंतर्गत किसी भी अवधि के संबंध में अग्रिम में एकत्रित कर की राशि का आंकलित मूल्यांकन या उसी अवधि के लिए लगाई गई शास्ति या किसी अवधि के लिए निर्धारिती/मालिक के पास कर या शास्ति बाकी हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। अगर इस प्रकार से अग्रिम में एकत्रित कर की राशि, कर की राशि से अधिक है जो है या बाकी हो जा सकती है, तो अतिरिक्त राशि निर्धारिती/मालिक को निर्धारित तरीके से वापस कर दी जाएगी या कर और बाद के समय के दंड के साथ समायोजित हो सकती है
- 29. भुगतान की विधि** – (1) प्रत्येक निर्धारिती/मालिक सरकारी ट्रेज़री में उसके पास देय कर की पूरी राशि का भुगतान करेगा। किसी भी कर या दंड का भुगतान, यदि कोई है, किसी भी निरीक्षण कार्यालय या विहित प्राधिकारी के कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) सरकारी कोषागार में भुगतान करने के लिए चालान फार्म जेईएनटी-204 में किया जाएगा।
- (3) चालान चार प्रतियों में तैयार होगा। चालान की मूल प्रति नियम 3 में विहित प्राधिकारी को भेजी जाएगी, द्वितीयक प्रति सरकारी कोषागार द्वारा रोक ली जाएगी, और द्वितीयक और क्वार्टुप्लीकेट प्रतियां निर्धारिती/मालिक को भुगतान के सबूत के रूप में वापस कर दी जाएगी।
- 30. विवरणी का चालान के साथ प्रस्तुतीकरण** – प्रत्येक निर्धारिती/मालिक फार्म जेईएनटी-202 में प्रस्तुत करते समय, नियम 17 के उप नियम (3) में संदर्भित चालान की क्वार्टुप्लीकेट प्रति का इस के साथ संलग्न करेगा।
- 31. 24 की उपधारा (3) एवं धारा 25 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी** – आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी सामान्य तौर पर या किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सशक्त, धारा 24 और धारा 25 की उप – धारा (3) के उद्देश्य के लिए विहित प्राधिकारी होगा
- कर-निर्धारण, अपील, संशोधन, और पुनर्विलोकन –**
- 32. कर निर्धारण की अवधि**— जब तक, एक छोटी अवधि लाभकारी मानी जाती है, मूल्यांकन की अवधि, आमतौर पर, एक चौथाई होगी

- 33. सुनवाई की सूचना** – धारा 12 या धारा 13 या धारा 14 या धारा 20 की उपधारा (4) के प्रयोजन से सुनवाई का नोटिस जेईएनटी-401 फार्म में होगा। विहित प्राधिकारी एक तिथि निश्चित करेगा, सामान्य तौर पर नोटिस जारी करने के 15 दिनों से कम नहीं, पर ऐसे खातों और अन्य सबूत को प्रस्तुत करने के लिए और अन्य प्रमाण या कोई आपत्ति जैसी कि उसको आवश्यकता हो सकती है और किसी आपत्ति पर विचार करने के लिए जिसको निर्धारिती/मालिक पसंद कर सकते हैं, नोटिस जारी करेगा।
- 34. कर निर्धारण** – (1) यदि विहित प्राधिकारी बिना निर्धारिती/मालिक की उपस्थिति या उसके द्वारा किसी भी प्रस्तुत सबूत को पेश करने की किसी भी अवधि के संबंध में प्रस्तुत किया गया रिटर्न सही और पूर्ण है से संतुष्ट है तो वह निर्धारिती/मालिक से कर की देय राशि का आकलन रिटर्न के आधार पर करेगा
- (2) यदि प्राधिकारी उप नियम (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती/मालिक या सबूत के प्रस्तुतिकरण की किसी भी अवधि के संबंध में दिया गया रिटर्न सही और पूर्ण से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे निर्धारिती/मालिक पर फार्म जेईएनटी-401 में एक नोटिस जारी कर सकता है कि उसकी एक तारीख और स्थान पर जो उसमें विनिर्दिष्ट है या तो स्वयं उपस्थित हो या प्रस्तुत करे या किसी भी सबूत को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे जिस पर निर्धारिती/मालिक ऐसे रिटर्न की शुद्धता को साबित करने पर निर्भर करता है या निर्धारिती/मालिक के ऐसे अन्य खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ प्रस्तुत करे जैसा कि उसके द्वारा आवश्यक समझे जाते हैं कि कर निर्धारिती/मालिक के विरुद्ध कर की राशि निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं।
- (3) नोटिस में निर्दिष्ट तिथि या बाद में जितना जल्दी हो सके, मामले को, नियम(1) में संदर्भित अधिकारी, जैसी कि निर्धारिती/मालिक प्रस्तुत कर सकते हैं और निर्दिष्ट बिंदुओं पर ऐसे दूसरे प्रमाण, जिनकी कथित अधिकारी को आवश्यकता हो सकती है, ऐसे प्रमाण की जांच करने के बाद, निर्धारिती/मालिक पर बकाया कर का आंकलन करेगा।
- (4) यदि निर्धारिती/मालिक विवरणी फाइल करने में विफल रहता है या रिटर्न दायर होने के नोटिस की सभी शर्तों को उप – नियम 2 के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या उपनियम (3) के अंतर्गत आवश्यक किसी भी सबूत को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उप नियम (1) में संदर्भित प्राधिकारी, निर्धारिती/मालिक को सुने जाने का एक उचित अवसर देने के बाद, अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, कर की राशि का आकलन करेगा, यदि कोई हो, निर्धारिती/मालिक के पास बाकी है।
- 35. सुनवाई हेतु नोटिस** – अधिनियम या नियमों के अंतर्गत यदि कोई भी किसी भी निर्धारिती/मालिक द्वारा देय है, तो विहित प्राधिकारी फार्म जेईएनटी-402 में एक नोटिस देगा और एक तारीख भी निश्चित करेगा जिस पर निर्धारिती/मालिक उसके द्वारा किए गए भुगतान के सबूत में चालान प्रस्तुत करेगा

शुल्क

- 36. शुल्क**— निम्नलिखित शुल्क देय होगा, अर्थात् –

- (i) कर या पेनेल्टी या दोनों के विश्लेषण के विरुद्ध अपील के एक ज्ञापन पर निम्नलिखित शुल्क देय होगा। विवादित राशि का दो प्रतिशत जिसकी गणना निकटतम रूप्ये तक की गई हो जो न्यूनतम 100 रु और अधिकतम 1000 रु के अधीन होगा।
- (ii) किसी भी आदेश के खिलाफ संशोधन के ज्ञापन पर—
विवादित राशि का 7.5 जिसकी गणना निकटतम रूप्ये तक की गई हो जो न्यूनतम 200रु और अधिकतम 2000 रु के अधीन होगा।
- (iii) निबंधन का द्वितीयक प्रति निर्गत करने के लिए नियम 5 के अधीन आवेदन—
200 रूपये
- (iv) राहत के लिए किसी भी अन्य विविध याचिका या याचिकाओं पर निम्नलिखित सहित अर्थात्
200 रूपये।
- (क) मनोरंजन के प्रत्येक स्थान के निबंधन के लिए आवेदन—
रु. 100.00रूपये
- (ख) निबंधन के प्रमाण पत्र के संशोधन के लिए आवेदन—
रु. 50.00रूपये
- (ग) धारा 3 (2) के अनुसार कर का भुगतान करने की अनुमति के लिए आवेदन—रु. 100.00रूपये
- (घ) निर्धारित कर अथवा अधिरोपित शास्ति भुगतान हेतु समय सीमा विस्तार के निमित्त आवेदन 100.00 रूपये 100.00 रूपये।
- (ङ) धारा 25 के अन्तर्गत समेकित कर राशि भुगतान हेतु समय सीमा विस्तार के निमित्त आवेदन।
- (च) एक कार्यवाही में स्थगन के लिए किसी भी निरीक्षण अधिकारी या विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन—10.00 रूपये
- (छ) राहत के लिए विविध याचिका—10.00 रूपये
- बशर्ते कि किसी भी आवेदन या याचिका या राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा.

37 प्रतिलिपि का निर्गमन — (1) यदि कोई भी निर्धारिती/मालिक उसके विषय में किसी भी विहित प्राधिकारी या निरीक्षण कार्यालय द्वारा पारित किये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहता है तो वह प्राधिकारी या सम्बंधित अधिकारी के पास आवेदन करेगा। आवेदन एक साधारण कॉपी के लिए 50 रूप्ये की या एक तत्काल नकल के लिए सौ रुपए की मूल्य की चिपकने वाला न्यायालय फीस स्टाम्प वहन करेगा, बशर्ते कि जब कागजात, जिनकी प्रतियां चाहिएं को विहित प्राधिकारी के रिकार्ड रूम में जमा नहीं किया गया हो उनके लिए कोई खोज शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा

(2) आवेदन की प्राप्ति, निर्धारिती/मालिक को नकल की आपूर्ति के लिए उपनियम (3) के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अदालत शुल्क टिकटों के बारे में सूचित किया जाएगा। निर्धारिती/मालिक या उनके अधिकृत एजेंट द्वारा न्यायालय फीस टिकटों की अपेक्षित राशि का भुगतान करने पर आदेश

- की प्रमाणित प्रतिलिपि को निर्धारिती/मालिक को देने के लिए तैयार किया जाएगा
- (3) प्रतियों देने के लिए निम्नलिखित शुल्क, देय होगा, अर्थात् –
- लिखित दस्तावेज के हर 150 शब्दों या उससे कम के लिए या लिखित दस्तावेज के लिए
- | | |
|------------------|------------|
| साधारण प्रतिलिपि | 2.00 रुपया |
| तत्काल प्रतिलिपि | 5.00 रुपया |
- प्रमाणीकरण शुल्क.
- | | |
|------------------|------------|
| साधारण प्रतिलिपि | 4.00 रुपया |
| तत्काल प्रतिलिपि | 7.00 रुपया |
- (4) जैसा की उप नियम 1 में निर्धारित है आवेदन की प्रमाणित नकल के लिए आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा दिया जा सकता है। इस तरह के मामले में आवेदक को पचास रुपए के समेकित शुल्क का भुगतान करना होगा, चाहे प्रतिलिपि की लागत को पूरा करने के लिए, आदेश जिसकी प्रतिलिपि चाहिए, में शब्दों की संख्या जो भी हो। ऐसे मामलों में, आवेदन फार्म जेईएनटी-204 में सरकारी कोषागार में आवश्यक शुल्क के भुगतान का सबूत दिखाने के रूप में चालान की एक प्रति के साथ लगाया जाएगा
- 38. शुल्क का भुगतान –** नियम 36 की धारा (1) के अंतर्गत और नियम 37 के उप नियम (4) के अंतर्गत देय शुल्क सरकारी कोषागार में हेड अन्य कर 045, और वस्तुओं और सेवाओं पर ड्यूटी उप हेड-101 मनोरंजन कर में जमा होगा.
- (2) अधिनियम या इन नियमों के अंतर्गत सभी देय फीस या इस फीस के अलावा, उप नियम (1) में संदर्भित है अदालत शुल्क टिकटों में भुगतान किया जाएगा।
- (3) अधिनियम के अंतर्गत देय शुल्क या इन का नकद भुगतान नहीं किया जायगा।

कर की वापसी

- 39. धारा 17 के तहत कर की वापसी –** (1) कोई निर्धारित/मालिक जो धारा 17 के अंतर्गत धन वापस प्राप्त करने का इच्छुक हैं, फार्म जेईएनटी-501 में आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा उप नियम 3 के अंतर्गत विहित अधिकारी के माध्यम से सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है, ऐसी वापसी के लिए, ऐसे मनोरंजन की तिथि से पंद्रह दिन के अंदर नियम 3 में विहित प्राधिकारी के पास आवेदन करेगा।
- उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, (2) (1) उप नियम (1) में संदर्भित प्राधिकारी, ऐसी जांच, करने के बाद जैसा वह ठीक समझता है, इस तरह की जांच करने के बाद, आवेदन को अपनी अनुशंसाओं के साथ आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा उप नियम 3 के अंतर्गत विहित अधिकारी के माध्यम से सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है, वह इस तरह की जांच करने, यदि कोई हो,

- जैसा वह ठीक समझता है, करने के बाद, या अनुमति दे सकता है या वापसी के लिए दावा अस्वीकार कर सकता है।
- (3) यदि धन वापसी की अनुमति दी जाती है, आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा उप नियम 3 के अंतर्गत विहित अधिकारी के माध्यम से सामान्य या किसी विशेष क्षेत्र के लिए सशक्त बनाया गया है, नियम 3 में विहित अधिकारी को धन की वापसी के लिए आदेश देगा।
40. धारा 17 के अंतर्गत कर वापसी के अलावा अन्य कर वापसी – यदि नियम 3 में विहित प्राधिकारी इस संबंध में किए गए दावे पर संतुष्ट हो जाता है कि कर निर्धारिती/मालिक के द्वारा या उसके बदले कर का भुगतान कर दिया गया है, जो ठीक से प्रभार्य नहीं था, या उस राशि से अधिक था जो वास्तव में प्रभार्य थी, कथित अधिकारी इस प्रकार अधिक दिए गए धन की वापसी के लिए अनुमति निर्धारिती/मालिक या ऐसे निर्धारिती/मालिक की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी प्रतिनिधि को दे सकता है। ऐसा दावे करने के लिए इस को फार्म जेईएनटी-502 में होना चाहिए।
- ऐसा दावा करने के लिए इस संबंध में बनाया गया दावा जेईएनटी-502 में होगा। बशर्ते कि किसी भी कर या जुर्माने की धन वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक यह भुगतान की सूचना देने की तारीख से छह महीने के भीतर किया गया हो।
41. कर वापसी का भुगतान आदेश— जब धन वापसी के एक आदेश के नियम 16 या नियम 39 या नियम 40 के अंतर्गत पारित किया गया है, नियम 3 में विहित प्राधिकारी फार्म जेईएनटी-503 में धन वापसी भुगतान आदेश जारी करेगा और इसको निर्धारिती/मालिक को सरकारी कोषागार से नवीनीकरण के लिए अग्रसारित करेगा। धन वापसी के आदेश की एक प्रति साथ साथ सम्बंधित कोषागार अधिकारी को भेजी जाएगी।

नोटिस का निर्गमन –

42. नोटिस का निर्गमन— (1) अधिनियम के अंदर नोटिस या नियमों के अंतर्गत अर्थात् द्वारा भेजा जा सकता है।
- (i) पहुंचाने या पाने के लिए या उसके परिवार के किसी भी वयस्क पुरुष सदस्य को जो उसके साथ रहता हो या उसके प्रबंधक को, अगर कोई है, इन नियमों के नियम 3 के उप नियम (6) के अंतर्गत घोषित को नोटिस की एक प्रति, या
- (ii) डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा, या
- (iii) ऐसे कूरियर सेवाओं के द्वारा जैसा कि आयुक्त या उपायुक्त या सहायुक्त(प्रशासन) सम्बंधित डिवीज़न के प्रभारी द्वारा अनुमोदित हो या
- (iv) फ़ैक्स, ई – मेल सेवाओं द्वारा या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।
- बशर्ते कि उल्लिखित तरीकों में से किसी से भी ऐसे किसी भी नोटिस को देने के लिए प्रयास किया गया है, विहित प्राधिकारी संतुष्ट है कि प्राप्ति से बचने के लिए पाने वाला लेने से बचने के रिल सीमा से बाहर जा रहा है या किसी अन्य कारण नोटिस ऊपर उल्लिखित तरीकों के कारण नोटिस दिया नहीं जा सका, कथित अधिकारी आदेश को देने के लिए आदेश देगा

- कि नोटिस को कार्यालय के किसी विशिष्ट भाग पर या इमारत में जहां उनका कार्यालय या मनोरंजन स्थित है, या जहां पाने वाला आदतन रहता है या किसी विशिष्ट स्थान पर या मनोरंजन या कार्यालय जहाँ पाने वाले को पिछला नोटिस दिया गया था या नोटिस का तामिला किया गया या चिपका कर तामिला किया गया और इस प्रकार देने को उतना ही प्रभावी होगा जैसे कि यह पाने वालक को व्यक्तिगत रूप से दिया गया है।
- (2) जब देने वाला अधिकारी पाने वाले को व्यक्तिगत रूप से या अपने ऐजेंट को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को देता या प्रस्ताव करता है, उसको उस व्यक्ति के या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी जिसको ऐसी प्रति इस प्रकार दी गई है या नोटिस की मूल प्रति पर एक पावती के बदले देने का प्रस्ताव की गई है। जब नोटिस देना नियम (1), के प्रावधानों के अनुसार चिपका कर दे दिया जाता है, तो देने वाला अधिकारी मूल विहित अधिकारी को उस पर अपने समर्थन के साथ एक रिपोर्ट देगा, जिसे देने वाला अधिकारी विहित अधिकारी को वापस करेगा, जिस ने नोटिस उस पर अपने समर्थन के साथ जारी किया है या यह लिखते हुए संलग्न किया है कि उस ने प्रति चिपका दी है, परिसिथितियां जिस में उस ने ऐसा किया है और व्यक्ति का नाम और पता, अगर कोई है, जिसके द्वारा, पाने वाले के कार्यालय, या बिल्डिंग जिसमें उसका कार्यालय या मनोरंजन है या स्थित था या निवास की पहचान की गई थी और जिस की उपस्थिति में प्रति को चिपकाया गया था। देने वाला अधिकारी को अपनी रिपोर्ट पर कार्यालय, बिल्डिंग, या पाने वाले के निवास की पहचान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की भी आवश्यकता होगी
- (3) जब पोस्ट/कूरियर द्वारा सेवा कर दी जाती है तो यह माना जाएगा कि सेवा ठीक से पता लिखते हुए, पूर्व भुगतान और पोस्टिंग पंजीकृत पोस्ट, कूरियर द्वारा प्रभावित हो गई है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता, समझा जाएगा कि सेवा उस समय पर प्रभावित हो गई है जिस पर नोटिस सामान्य प्रक्रिया में दे दिया जाता।
- (4) जब सेवा फ़ैक्स, ई – मेल सेवा द्वारा या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाती, तो सेवा को इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं को लागू कर प्रभावित किया गया समझा लिया जाएगा।
- (5) अधिकारी जिसके कहने पर नोटिस जारी किया गया था, अगर वह देने वाले अधिकारी की रिपोर्ट या डाक रसीद या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन की रिपोर्ट से या ऐसे प्रमाण लेने से जैसा कि वह ठीक समझता है कि नोटिस नियम के अनुसार दे दिया गया है, से संतुष्ट हो जाता है तो उस प्रभाव का एक आदेश रिकॉर्ड करेगा। अगर वह संतुष्ट नहीं है कि नोटिस ठीक से दिया गया है, तो वह इस प्रभाव का आदेश रिकॉर्ड करने के बाद वह एक नए नोटिस का निर्देश दे सकता है।

अभियोजन एवं अपराधों का प्रथमन –

43. **अभियोजन की संस्था के लिए/या स्वीकृति**— इस अधिनियम या इन नियमों के अंतर्गत कोई अभियोजन, आयुक्त या किसी भी अधिकारी या सामान्य तौर पर या किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सशक्त बनाया गया हो, की पूर्व मंजूरी के बिना गठित नहीं किया जाएगा।
44. **धारा 17 के तहत अपराधों का प्रषमन**— (1) जब धारा 25 के अंतर्गत आयुक्त या किसी भी अधिकारी को सामान्य तौर पर या किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सशक्त बनाया गया हो जब वह किसी भी निर्धारिती/मालिक से, किसी भी अपराध की संरचना के माध्यम से, आवश्यकता मतलब है राशि स्वीकार करता है वह फार्म जेईएनटी-601 में एक निर्धारिती/मालिक को संरचना राशि उस में उल्लिखित अवधि में जमा करने का निर्देश देगा। आदेश की एक प्रति साथ साथ नियम 3 में निर्धारित विहित अधिकारी और कोषाधिकारी को जानकारी के लिए भेजेगा
- (2) आयुक्त या किसी भी अधिकारी को सामान्य तौर पर या किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सशक्त बनाया गया हो वह एक तारीख निश्चित करेगा जिस पर निर्धारिती/मालिक नियम 3 में निर्धारित पावती चालान भुगतान के सबूत में विहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

विविध

45. **भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए प्रावधान, जिन्होंने किसी कर्तव्य का प्रदर्शन करना है** — विहित प्राधिकारी, निरिक्षण अधिकारी, और निर्धारिती/मालिक के प्रबंधकीय स्टाफ के सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर मनोरंजन में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा कि उसको परिसर में कुछ कर्तव्य का प्रदर्शन करना है के लिए कुछ कर्तव्य है कि जब तक कि वह एक बिल्ला जो उसके रैंक को दर्शाता हो, काम, या पेशे को साथ नहीं रखता।
46. **टिकटों का प्रस्तुतीकरण** — 18 अनुभाग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी या नियम (2) उन व्यक्तियों के प्रवेश के संबंध में प्रावधान जिन्हें किसी कर्तव्य का निर्वहन करना है, के अंतर्गत निर्धारित अधिकारी किसी भी व्यक्ति जिसको एक मनोरंजन के लिए प्रविष्ट कराया गया है को टिकट या पूरक टिकट या बिल्ला जो उसे मनोरंजन में प्रविष्ट होने का सत्त्वाधिकार देते हैं।

दंड का प्रावधान

47. **सजा** —नियम के किसी प्रावधान का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन जुर्माने की सजा योग्य होगा जो दो हजार रुपए तक का हो सकता है।
48. **झारखंड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 को लागू करना**— उन परिस्थितियों में जहां इन नियमों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए कोई नियम नहीं हैं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 हुवहू लागू होंगे।
49. **निरसन एवं व्यावृति**— इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व की नियमावली यदि कोई हो तो निरसित मानी जायेगी, परन्तु ऐसे निरसन के

बावजूद इस नियमावली की काई बात (प्रावधान) पूर्व में इस संबंध में निर्गत किये गये आदेशों पर प्रभाव डालने वाली या उन्हें अमान्य करने वाली नहीं समझी जायेगी। पूर्व के आदेश प्रभावी बने रहेंगे और वे इस नियमावली के उपर्युक्त उपबंधों के अधीन किये गये माने जायेंगे।

(संचिका संख्या— वा कर1 / मनो0कर / 2 / 2012 / 4062 अनु०)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एम0आर0मीणा,

सचिव—सह—आयुक्त,

वाणिज्य—कर विभाग,

झारखण्ड, राँची।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एम0आर0मीणा,

सचिव—सह—आयुक्त,

वाणिज्य—कर विभाग,

झारखण्ड, राँची।

JHARKHAND ENTERTAINMENT TAX RULES, 2013

S.O. No. 14 Dated the 13th July, 2013--In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Jharkhand Entertainment Tax Act, 2012 (Jharkhand Act, 13, 2012), the Governor of Jharkhand hereby makes the following Rules:-

1. Short titles and Commencement—

- (i) These rules may be called the “**Jharkhand Entertainment Tax Rules, 2013**”.
- (ii) These Rules shall come into force from the date of its notification.

2. Definitions. – In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

- (a) "The Act" means the Jharkhand Entertainment Tax Act, 2012;
- (b) "Circle" means, in relation to an Assesse, a unit of commercial taxes Administration created under the relevant provisions of law relating to tax on sale and purchase of goods in the State of Jharkhand for the time being in force, within the local limits of which, the place of an entertainment of the Assesse is situated;
- (c) "Form" means a form appended to these rules.
- (d) "Fortnight" means a fortnight ending on the 15th day or on the last day of a month according to the Gregorian Calendar;
- (e) "Government Treasury" means, in relation to a Assessee/Proprietor, the Treasury or Sub-Treasury, as the case may be, of the district or sub-division, where his place of entertainment is situated or the Treasury or Sub-Treasury specified in the certificate of registration granted to him under rule 5;
- (f) "Inspecting Officer" means the Deputy Commissioner of Commercial Taxes, the Assistant Commissioner of Commercial Taxes, the Commercial Taxes Officer (hereinafter referred to as the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner, the Commercial Taxes Officer, respectively) or any other officer appointed by the State Government to discharge the function of any Inspecting Officer or prescribed authority under all or any of the provisions of the Act or these rules;
- (g) "Prescribed Authority" unless specified otherwise, means the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Commercial taxes Officer of the Circle or Sub-Circle;
- (h) "Quarter" means a quarter ending on the 31st March, 30th June, 30th September, or 31st December of a year;
- (i) "Section" means a section of the Act;
- (j) "Sub-circle" means, in relation to an Assesse, a unit of Commercial Taxes administration created under the relevant provisions of law relating to tax on sale and purchase of goods in the State of Jharkhand, for the time being in force, within the local limits of which, the place of entertainment of the Assesse is situated;
- (k) "Tax" means tax levied under the Act;
- (l) "Treasury Officer" means in relation to a Assessee/Proprietor, a Treasury Officer or an Assistant Treasury Officer or Sub-Treasury Officer of the Treasury or Sub-Treasury specified in the certificate of registration granted under rule 5;
- (m) "The Tribunal" means the tribunal constituted under the relevant provisions of the law relating to tax on sale and purchase of goods in the State of Jharkhand, for the time being in force;
- (n) "Week" means the day commencing from Wednesday.
- (o) "Year" means a financial year.

Words and expressions used but not defined in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the Cinematograph Act 1952, Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, The Prasar Bharti (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, Indian Telegraph Act, 1985, The Indian Wireless Telegraph Act, 1933, the Jharkhand Entertainment Tax Act, 2012, Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 and Rules made thereunder.

Registration

- 3. Application for registration.** –(1) An application for registration under section 6 shall be –

- (a) made to the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes officer, in-charge of the Circle or Sub-circle, as the case may be, in Form JENT-101 [for in case of Cable Television Operator and Direct to Home (DTH) Service Provider, in Form JENT-102;] within thirty days from the date of his becoming liable for payment of tax under that or within forty five days after the commencement of these Rules.
- (b) Signed, as applicant, by the Assessee/Proprietor of the entertainment; or in the case of a firm, by the partner authorized to act on behalf of the firm; or in the case of a Hindu Undivided family, by the karta; or in the case of a company incorporated under the Indian Companies Act, 1956 or a Corporation constituted under any law, by a director or principal officer or Chief Executive Officer, duly authorized by Boards of Directors, thereof, or in case of a Society, Club or Association of persons or a Department of Government or local authority or any other institution, by the principal Executive officer or Officer-in Charge thereof;
- (c) accompanied by the proof of deposit of fee prescribed by rule 36;
- (d) The registering authority after receiving the said application, shall issue a receipt for the application of registration.
- (e) **Where the registering authority is satisfied, that the information furnished by him in application in Form JENT 101 or JENT 102 is true and correct, and that the Assessee/Proprietor is genuine, he shall subject to Rule 4, issue to the Assessee/Proprietor a Registration Certificate in Form JENT 106 and JENT 107, as the case may be, within five days from the date of filing of such applications, and allot him a eleven digit registration number, which shall have the number the state code, the computer generated two digit code, the circle code, forty five, followed by the three digit registration number.**

Provided that a Assessee/Proprietor having more than one place of entertainment shall make separate application in respect of every such place of entertainment.

(2) In case the Assessee/Proprietor makes an application for registration electronically in the official website of department of commercial taxes, such application for registration may be filed either under digital signature or without any digital signature electronically through said website and follow the steps/instructions contained in the software specially evolved for this purpose.

(a) The applicant shall receive the acknowledgement number for further reference as regard to the said application.

(b) The said electronic application thereafter shall be verified and the applicant shall be informed electronically within two days to be present within two days, before the prescribed authority with the required document(s).

(c) On such specified date the applicant shall furnish the security bond as required under Rule 4 and also file the hard copy of the application in JENT 101 and JENT 102, as the case may be, duly filed and signed as required under clause (b) of sub-rule (1) of this rule, with the requisite fee along with an affidavit, certifying that the contents of the said application in Form JENT 101 and JENT 102 are true and correct.

(d) The prescribed authority being satisfied and subject to Rule 4 and clause (e) of sub-rule (1) of this rule, shall issue registration certificate in JENT 106 and JENT 107, as the case may be, within one day after submission of duly filed and signed hard copy in Form JENT 101 and JENT 102, as the case may be, and such other document(s) filed under clause (c) of this sub-rule.

Explanation – For the purpose of this rule the holidays shall not be counted as a day.

(e) Notwithstanding anything contained in this rule, the Commissioner may evolve a criteria, other than those prescribed in this rule for the purpose of filing of application and obtaining registration electronically.

(3) Where the registering Authority is not satisfied with the information furnished by the applicant and has reasons to believe that the applicant does not meet the requirements for registration, he shall provide an opportunity of being heard, specifying the reasons for refusal before passing any order for such refusal to issue registration certificate and for this he shall issue a notice in Form JENT-401;

(4) The Registering Authority shall enter the name and style of Entertainment, the date of commencement of liability and the name and address of the applicant;

(5) The full information contained in the application for registration mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be entered in the computer/register within two days of the receipt of such application;

(6) Every registered Assessee/Proprietor shall declare the name of his Business Manager(s) in Form JENT-105, along with two passport size colored photograph of such business manager(s);

(7) Notwithstanding anything contained in these Rules, the commissioner, in order to achieve the objectives of electronic methods and automation including the provision relating to digital signatures, electronic governance, attribution acknowledgement and dispatch of electronic records, secure electronic records and secure digital signatures and digital signature certificates; may determine criteria and shall in so far as they are feasible, apply to the said electronic procedures.

(8) Where any notice or communication is prepared on any automated data processing system and is properly served on any Assessee/Proprietor or person, then the said notice or communication shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice or communication shall not be deemed to be invalid merely on the ground that it is not personally signed by any such officer.

(9) For the proper functions of the departmental electronic system, all the registered Assessee/Proprietor under repealed the Bihar Entertainment Tax Act 1948 and The Jharkhand Entertainment Tax Ordinance, 2012 (Jharkhand Ordinance No. 02, 2012) are required to submit an application in Form JENT-101 and JENT-102, as case may be, within thirty days from the commencement of the Act and the registering authority shall, subject to the provisions under sub-section (1)(e) and (2)(d) of this rule, grant the certificate in Form JENT-106 and JENT-107, as the case may be.

4. Deposit of security by Assessee/Proprietor. –(1) Where the registering authority, by order, requires any Assessee/Proprietor to deposit a security under section 7, it shall be deposited within a week from the date on which such order is served upon the Assessee/Proprietor.

(2) Such security may, subject to satisfaction of the Registration Authority, be furnished by the Assessee/Proprietor, in any one of the following ways, namely-

(a) by depositing such amount in cash, in a Government Treasury; or

(b) by depositing such amount into the different schemes of the Post Office and pledging the such Certificates of deposit and depositing the same with the said authority; or

(c) by furnishing to the said authority a guarantee from a Nationalized Bank approved in this behalf by the said authority, agreeing to pay to the State Government, on demand the amount of security fixed by the said authority.

Provided such security shall also be furnished once in every five years.

(3) At any time, the said authority may to his satisfaction, increase or reduce the amount of security furnished in this behalf.

5. **Certificate of registration.** – (1) If a certificate of registration granted under sub-rule (1)(e) and sub-rule (2)(d) of rule 3 is lost, destroyed, defaced or has become illegible, the Assessee/Proprietor shall immediately report the fact to the registering authority and the said authority shall, on application made by such Assessee/Proprietor and on payment of the fee prescribed in rule 36, grant him a duplicate certificate of registration.

(2) If the original certificate of registration is reported to have been defaced or have become illegible, the defaced or illegible certificate shall be returned with the application for the issue of the duplicate certificate.

(3) A duplicate certificate granted under this sub-rule shall be clearly marked “Duplicate”.

6. **Amendment of registration.** – (1) If an Assessee of any entertainment sells or otherwise disposes of his business in respect of such entertainment or any part of such business or effects or comes to know of any other change in the ownership, name or style or nature or extent of such business, he or, in case of his death, his legal representative, shall within seven days of such sale, disposal, or change, submit a report to that effect, along with the certificate of registration granted under sub-rule (1)(e) and sub-rule (2)(d) of rule 3, to the registering authority prescribed in rule 3, for amendment in the certificate of registration.

(2) An Assessee intending to make any change or modification in the number of seats or in the number of shows or in the rate of admission fee, he shall submit a report to that effect, along with the certificate of registration granted under sub-rule (1)(e) and sub-rule (2)(d) of rule 3, to the registering authority, at least fifteen days before the date of such proposed changes or modifications and until, the said authority approves it and makes necessary amendment in the certificate of registration, such changes or modifications shall not be effected by the Assessee:

Provided that, if an Assessee contravenes any provisions of this sub-rule, the certificate of registration granted under sub-rule (1)(e) and sub-rule (2)(d) of rule 3, shall not apply to that extent and in such case, he shall be deemed to have defaulted to that extent in applying for registration certificate under sub-section (2) of section 6.

(3) The Assessee/Proprietor shall furnish such information to the registering authority within thirty days in Form JENT-103;

(4) On receipt of such information along with certificate of registration and on payment of fees prescribed by rule 36, the registering authority, shall, after making such enquiry, if any, as he deems fit, make necessary amendments in the certificate of registration and such amendment shall operate with effect from the date specified in the certificate of registration.

7. **Cancellation of certificate of registration.** – (1) If an Assessee of an entertainment discontinues such business or changes the place of entertainment he shall, within seven days of such discontinuance or change of place of entertainment, submit an application for cancellation of certificate of registration granted under sub-rule (1)(e) and sub-rule (2)(d) of rule 3, which shall be in Form JENT-104 to the registering authority.

(2) Where the registering authority receives, an application for the cancellation of certificate of registration under sub-rule (1) from an Assessee/Proprietor or his authorised agent or otherwise, is satisfied that the registration certificate of any Assessee/Proprietor should be cancelled, he shall,

after making such enquiry as he deems necessary, cancel the certificate of registration of the Assessee with effect from the date specified by him or on this behalf.

(3) Where the registering authority prescribed in sub-rule (1), is satisfied that any Assessee has willfully contravened the provisions of section 5 of the Act or failed to comply with the orders issued under the provisions of section 13 or failed to pay the amount of security required under rule 4 or failed to pay the amount of compounded tax under rule 19 or failed to pay advance tax required under rule 28, after giving the Assessee/Proprietor and opportunity of being heard, may cancel the certificate of registration granted to the Assessee/Proprietor from the date specified by him on this behalf.

Hours of Entertainment and Tickets for Admission

8. Notification of hours of entertainment. – (1) Every Assessee/Proprietor of an entertainment shall communicate to the prescribed authority at least twenty four hours before the commencement of entertainment regarding hours, place and nature of entertainment or in respect of any change or modification in such hours, place and nature of the entertainment.

(2) Any information about temporary suspension or closure of an entertainment, the rates for admission and the amount of entertainment tax there upon shall be exhibited in a conspicuous place of the premises of entertainment and the same shall simultaneously, be intimated to the prescribed authority.

(3) Every owner or other person in-charge of any theatre hall or other premises who lets out the same for the purposes of an entertainment shall inform the authority mentioned in sub-rule (1) at least three days before the commencement of entertainment and shall clearly specify the nature of entertainment, the name and address of the Assessee/Proprietor, the date and the time of such the entertainment proposed to be held:

In no circumstances he shall let out to any person for the aforesaid purpose unless the latter is registered under section 6 or is exempted under section 9 or has paid the compounded tax under sub-section (2) of section 3 of the Act.

9. Ticket. – (1) A ticket shall be in rectangular shape of three parts, hereinafter called the “foils”. Each foil of ticket shall be distinguished by a vertical line between the first and second foil and by another vertical line between the second and third foil. The first foil shall be preserved in the counterfoil book and the other two foils shall be issued for the purpose of authorising and verifying admission to the entertainment. The words “For Gate” and “For Visitor” in capital letters, shall be printed on the upper portion of the second and third foils respectively.

Provided that there shall be separate series of complementary tickets and at the top of every foil of such ticket, the word “Complementary” in capital letter shall also be printed:

Provided also that there shall be separate series of tickets for admission to an entertainment exempted from the liability to pay entertainment tax by notification issued in this regard and at the top of every foil of such ticket the words “TAX FREE” shall also be printed in capital letters.

(2) Each foil of a ticket shall show the name of entertainment, class to which it authorise admission, the date and show for which it is valid, the rate of payment for admission and the amount of the entertainment tax and surcharge, if any;

Provided that a complementary ticket need not show the rate of payment for admission, but it shall show the amount of entertainment tax and surcharge, if

any chargeable for admission to the class to which such complementary ticket relates;

Provided also that a ticket for admission to the show exempted from the liability to pay entertainment tax need not show the amount of entertainment tax or surcharge which is not chargeable, but shall show the rate of payment for admission.

- 10. Season tickets and ticket for series of entertainments.** – Every season ticket and every ticket for the right of admission to a series of entertainments or for any privilege, right, facility or thing combined with the right of admission to any entertainment shall have marked thereon, the name of the entertainment, the name of the person in favor of whom such ticket is issued and the period for which it is available.
- 11. Conditions relating to printing of tickets.** – (1) To distinguish tickets of each class or type, it shall be printed on different colors of paper or in different colors of ink.
- (2) The ticket shall be show-wise and there shall be separate books of tickets for each class. The tickets of each class shall bear serial number either machine printed or computerized where such tickets are generated electronically. Such serial number shall run from 000001 to 1,00,000 and this shall be repeated in rotation and each series of tickets shall be distinguished by one more letters of alphabet.
- (3) Besides, the details required under rules 9 and 10 under this rule, the name and address of the press, the total number of tickets of the class printed and the date of printing shall also be printed at the bottom of each foil of the ticket.
- (4) The tickets shall be kept in bound books of 25 tickets each.
- 12. Return in respect of tickets printed.** – Every Assessee/Proprietor shall furnish to the prescribed authority, a duly signed return in respect of tickets printed or generated. Such return shall be in Form JENT-201 and shall be furnished at least a week before such tickets are brought in use.
- 13. Authentication of tickets.** – (1) No ticket, unless authenticated in the manners prescribed hereunder by the prescribed authority or by any other officer authorised by the Commissioner for the purpose, under sub-rule (2) shall be issued :-
- (a) Every Assessee/Proprietor shall keep a true record of tickets printed in a bound register, which shall be in Form JENT-302. The entries in the said register shall be completed, as soon as the tickets are received by the Assessee/Proprietor.
- (b) The Assessee/Proprietor shall produce tickets required at least for one week for authentication along with register in Form JENT-302 before the prescribed authority or before any other officer authorised by the Commissioner for the purpose under sub-rule (2).
- (c) Before the tickets are produced for authentication, the Assessee/Proprietor shall pay the amount of entertainment tax payable thereon in advance and the tickets shall be authenticated only to the extent to which the proof of payment of tax by way of Treasury Challan is furnished.
- (d) When the tickets are produced by the Assessee/Proprietor for authentication before the prescribed authority or before any other officer authorised by the Commissioner for the purpose under sub-rule (2), the said authority shall verify the proof of payment of entertainment tax payable on such tickets, enter the details in the register in Form JENT-302 which shall also be maintained in the office of the said authority and authenticate the tickets produced in either or both the manners provided hereunder –

- (i) by engraving an assigned symbol through a mechanical device provided by the State Government.
- (ii) by impressing, by signing and affixing his official seal.
- (2) The Commissioner may authorise any other officer either generally or for any specified area to discharge the functions of authentications of tickets; Provided that it shall be lawful for the prescribed authority or for the officer, specially authorised by the Commissioner to allot the work of authentication of ticket to any other officer posted in his office.
- 14. Application of Rule 13.** – The provisions of rule 13 shall apply to the entertainment situated in places notified under sub-section (2) of section 8.
- 15. Conditions relating to issue of tickets.** – (1) At the time of issue of tickets –
- (a) (i) The issuing clerk shall put in his dated initials on all the three foils of the ticket.
- (ii) The two foils, namely for the visitor and for the Gate shall be detached from the counterfoil and issued to the buyer.
- (iii) The counterfoils in the book shall be preserved by the Assessee/Proprietor for inspection or production before the inspecting officer or before the prescribed authority. Such counterfoils shall be preserved by the Assessee/Proprietor till the assessment under section 13 or Rule 34 has reached its finality.
- (b) On admission of the holder of a ticket other than a season ticket available for series of entertainments, the Assessee/Proprietor of the entertainment shall cause the ticket of such holder to be collected by the gatekeeper, qualified to perform his duties at the entrance to the entertainment. The foil, marked 'For visitor', of the ticket, so collected shall be returned to the holder at the entrance to the entertainment and the other foils, marked 'For Gate' shall remain with the Gatekeeper till the show is over and they shall be transferred to the custody of the Assessee/Proprietor for being retained and preserved till the next day following the entertainment.
- (c) The Assessee/Proprietor shall cause the presence of a Gatekeeper with a note book prescribed in clause (d) at every entrance to the entertainment while the show is on. The entries in the note book shall be completed before interval or within half of the duration of the show, whichever falls earlier.
- (d) All foils of tickets marked 'for gate' collected by the Gatekeeper shall be serially arranged and their details entered by him in the Gatekeeper's book which shall be in Form JENT-301.
- (2) (a) Tickets for each class and each show shall be sold from one respective book at a time and the second book shall be brought into use only when the first book has been exhausted.
- (b) No ticket book shall be used for any class or show other than that for which it is meant.
- (c) A ticket after having been separated from the counterfoil shall not be pasted or stitched again to the counterfoils, nor the tickets issued for one show, shall be allowed to be used for the next show.
- (d) No foil of ticket, which is for the visitor, shall be retained at the entrance in lieu of the foil for Gate.
- 16. Suspension of shows.** – When any show of an entertainment has been suspended for reasons beyond the control of the Assessee/Proprietor, and where in consequence thereof, the spectators have been reimbursed the full value of the tickets sold, the Assessee/Proprietor shall, after making reimbursement, submit the second and third foils of such tickets along with the respective counterfoils, to the authority prescribed in rule 3, within 24 hours from the time of suspension of the show, and claim for refund of the tax amount which he, on such tickets, has paid under clause (c) of sub-rule (1) of rule 13 and the said

authority shall after making such enquiry as he may deem fit allow the claim by adjustment towards the amount payable under the said rule for another show or direct the Treasury Officer to make a refund of the amount. After the claim is allowed, the said authority shall make an endorsement on the order sheet in respect of serials and total number of such tickets of each class and the amount of tax refunded/adjusted. The refund payment order shall be in Form JENT-XIII:

Provided that the provisions of this rule shall not apply in respect of entertainments permitted to pay a fixed sum in lieu of tax under rule 19.

17. **Transfer to different parts of a place of entertainments.** – Any reference in these rules to admission to a place of entertainment or to a person admitted to a place of entertainment shall not, so far as may be, be deemed to include a reference to the admission to another part of the place of entertainments for admission to which a payment involving tax or more tax is required.

Calculation of Tax and Method of Levy

18. **Calculation of tax when payment for admission includes other privileges.**

– (1) Where the payment to an entertainment or a series of entertainments is paid lump sum as subscription or contribution and where such payment enables the persons making it also to exercise other privileges or rights, the Assessee/Proprietor shall apply to the Commissioner or any other officer specially empowered by the State Government either generally or for any specification through the authority prescribed in rule 3, to fix such amount as appears to him to represent the right of admission to the entertainment and the amount of tax payable on such portion.

(2) Along with the application, the Assessee/Proprietor shall furnish particulars of the number of persons so subscribing or contributing, the amount realized the number and nature of the entertainments, the rates of payment for admission for those who have not so subscribed or contributed and the nature of rights or other privileges to which a person subscribing or contributing is eligible, together with a copy of the rules and regulations if any, relating thereto.

(3) The prescribed authority in rule 2(g), on receipt of the application, shall, after making such enquiry, as he deems fit, forward the application to Commissioner or to any other officer specially empowered by the State Government with generally or for any specified area with his report. On receipt of the report, the Commissioner, or any other officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area after such further enquiry, if any, as he deems fit shall fix the amount which appears to him to represent the right of admission to the entertainment and the amount of tax payable under sub-section (2) of section 3.

(4) The amount of tax fixed by the Commissioner or any other officer specially empowered by the State Government either or for any specified area under sub-rule (3) shall be paid by the Assessee/Proprietor within seven days from the date of receipt by him of the order fixing the amount of tax due.

19. **Payment of fixed sum in lieu of tax payable under the Act.** – (1) An Assessee/Proprietor intending to compound for the tax payable under the Act, by paying in lieu thereof, a fixed sum, shall apply in Form JENT-108 to the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area through the prescribed authority in rule 3, not less than fourteen days before the commencement of the entertainment intended for compounding of tax.

(2) On receipt of the application, the prescribed authority in sub-rule (1), shall after making such enquiry, as he deems necessary, forward the application to the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area, with his report. On receipt of the report, the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area may, after such evidence, as may be produced, permit the Assessee/Proprietor to pay a fixed sum in accordance with sub-section (2) of section 3 and issue a certificate in Form JENT-109 to the Assessee/Proprietor and the Assessee/Proprietor shall comply with all the terms and conditions specified therein;

Provided that the default in payment of the fixed sum in accordance with the terms and conditions specified in the permission or certificate in Form JENT-109 shall invalidate such permission or certificate from the date of such default and in that case the general provisions of the Act and rules shall apply to such Assessee/Proprietor.

(3) During the validity of the permission or certificate in Form JENT-109 so long an Assessee/ proprietor complies the terms and conditions specified by the Commissioner or any other officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area, and makes payment of the fixed sum in accordance thereof, the provisions of sub-section (1) of section 8, section 12 and 13 and rules 11, 12 and 15 shall not apply to such Assessee/Proprietor of entertainment.

(4) The permission or certificate granted under sub-rule (2) shall be in effect only from the date and remain in force only for a period as specified therein.

(5) The certificate granted under sub-rule (2) shall be exhibited in a conspicuous part of the premises of the entertainment and produced before any Inspecting Officer on demand.

20. Payment of fixed sum in lieu of tax payable under the Act by cable operators, operating cable television network and Direct-to-Home Service Provider. – The consolidated amount of tax payable under Sub-Section (2) of Section 3 shall be paid by the cable operators, operating cable television network and Direct-to-Home Service Provider for each connection given to the subscriber as specified in schedule of the Act.

21. Payment of tax in cases where admission is controlled by mechanical contrivance. – (1) An Assessee/Proprietor intending to pay the tax in accordance with results recorded by any mechanical contrivance shall apply to the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area through the authority prescribed in rule 3, not less than fifteen days before the commencement of the entertainment in Form JENT-110.

(2) On receipt of the application under sub-rule (1), the authority mentioned in sub-rule (1), shall, after making such enquiry as he thinks fit, forward the same to the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area with his recommendation.

(3) If the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area is satisfied after such further enquiry, if any, as he deems fit, that the application fulfills the requirements of the provisions of the Act and these rules, he may permit the Assessee/Proprietor to pay the tax in accordance with the provision of sub-section (3) of section 8 and grant a certificate in Form JENT-111.

(4) The Assessee/Proprietor shall maintain a true and correct account of the persons admitted by means of such mechanical contrivance and submit returns,

as and when required to do so by any Inspecting Officer and comply with all the terms and condition specified in the certificate granted in Form JENT-111.

(5) No persons shall in any circumstances, be admitted to an entertainment by any mechanical contrivance save on payment of the price of admission inclusive of tax. Such price inclusive of tax; shall be exhibited in a conspicuous place on or near the mechanical contrivance and the fact that the price is inclusive of tax shall also be exhibited clearly.

(6) Every mechanical contrivance at a price of entertainment shall at all reasonable times be open to inspection by any Inspecting Officer.

(7) The certificate granted under sub-rule (3) shall be exhibited in a conspicuous part of the premises of the entertainment and produced before the Inspecting Officer on demand.

22. **Application for exemption from payment of tax under section 9.** – An application for exemption from payment of entertainment tax under section 9 shall be made ordinarily before fifteen days from the date of such entertainment to the authority prescribed in rule 3.

Registers and Returns

23. **Register of tickets issued.** – (1) Every Assessee/Proprietor shall keep and maintain a true and correct account of the issue of tickets in a bound register in Form JENT-303. An account of the issue of season tickets shall be kept in Form JENT-304.

(2) Entries in respect of each show in the register prescribed in sub-rule (1) shall be completed within an hour of the scheduled time of the start of the show.

24. **Returns.** – Every Assessee/Proprietor or any person authorised by him on his behalf shall furnish to the authority prescribed in rule 3, a duly signed weekly return which shall be in form JENT-202, on or latest by Wednesday, following the week to which the return relates.

25. **Return in respect of Entertainment through cable operators, operating cable television network and Direct-to-Home Service Provider.** – Every Assessee/Proprietor or owner of any cable operators, operating cable television network and Direct-to-Home Service Provider or any person authorised by him on his behalf shall furnish to the authority prescribed in Rule 3 a duly signed monthly return which shall be in Form JENT-203 latest by 15th of every month following the month to which the return relates”

26. **Inspection book.** – (1) Whenever required by any Inspecting officer, the Assessee/Proprietor of entertainment shall cause to produce a true and correct, statement of sales of tickets in form prescribed in sub-rule.

(2) The statement shall be in duplicate and shall be maintained in the form of a bound book of 100 pages or its multiples.

(3) The Inspecting Officer shall be competent to record his notes or remarks of inspection as he deems fit. Original copy of the statements shall be taken by the Inspecting Officer who shall submit it to the prescribed authority for proper action and the duplicate copy shall be preserved in the book for inspection and verification by or for production before the prescribed authority for the purpose of the Act or rules.

(4) Every such statement shall be in Form JENT-305 and shall be signed by the Assessee/Proprietor or any person duly authorised by the Assessee/Proprietor in this behalf before the statement is produced before the Inspecting Officer.

Payment of Tax

- 27. Payment of tax by the Assessee/Proprietor.** – Every Assessee/Proprietor shall, pay the full amount of tax due from him in respect of the week on the next day of beginning of the week, for which the payment falls due: Provided that the prescribed authority in rule 3(g), for the reason to be recorded in writing may direct any Assessee/Proprietor to pay in respect of any period an amount of tax less than a week at such interval as may be specified in the order and he may likewise at any time, modify or revoke such order.
- 28. Advance payment of entertainment tax.** – (1) Where the authority prescribed in rule 3 is satisfied that the Assessee/Proprietor of any entertainment is defaulting or delaying or avoiding the payment of entertainment tax due from him he may after giving the Assessee/Proprietor an opportunity of being heard, direct the Assessee/Proprietor to pay an amount in advance determined in accordance with sub-rule (2) by any date within a week of such direction.
- (2) The amount of tax required to be deposited in advance shall not exceed the estimated tax for one month. Such an estimate shall be made on the basis of probable estimated receipts for the period in respect of which such advance tax is required to be paid and in making the estimates the seating capacity of the entertainment and the number of shows proposed to be held and such other materials which in the opinion of the authority, are relevant, shall be taken into account.
- (3) The amount of tax collected in advance under sub-rule (1) in respect of any period shall be set off against the amount of tax assessed or penalty imposed for the same period or any other period for which tax or penalty may be due from such Assessee/Proprietor. If the tax so collected in advance is in excess of the amount of tax which is or may become due, the excess amount shall be refunded to the Assessee/Proprietor in the prescribed manner or may be adjusted with tax and penalty of subsequent periods.
- 29. Method of payment.** – (1) Every Assessee/Proprietor shall pay the full amount of the tax due from him into the Government Treasury. No payment of any tax or penalty, if any, shall be accepted at the office of any Inspecting Office or prescribed authority.
- (2) Challan for making payment into the Government Treasury shall be in Form JENT-204.
- (3) Challan shall be prepared in quadruplicate. The original copy of the challan shall be sent to the prescribed authority in rule 3, duplicate copy shall be retained by the Government Treasury, and the triplicate and quadruplicate copies shall be returned to the Assessee/Proprietor as proof of payment.
- 30. Submission of challan with return.** – Every Assessee/Proprietor shall while submitting a return in Form JENT-202 attach to it the quadruplicate copy of the challan referred to in sub-rule (3) of rule 27.
- 31. Prescribed authority under sub-section (3) of section 24 and section 25.** – The Commissioner or any other officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area shall be the prescribed authority for the purpose of sub-section (3) of section 24 and section 25.

Assessment, Appeal, Revision and Review

- 32. Period of Assessment.** – Unless, a shorter period is considered expedient, the period of assessment shall, ordinarily, be a quarter.
- 33. Notice of hearing.** – The notice of hearing for purpose of sub-section (4) of section 12 or section 13 or section 14 or section 20 shall be in Form JENT-401. The prescribed authority shall fix a date, ordinarily not less than fifteen days

from the date of issue of the notice for producing such accounts and other evidences as it may require and for considering any objection which the Assessee/Proprietor may prefer.

- 34. Assessment.** – (1) If the prescribed authority is satisfied without requiring the presence of the Assessee/Proprietor or production by him of any evidence that the return furnished in respect of any period is correct and complete, he shall assess the amount of tax due from the Assessee/Proprietor on the basis of such return.
- (2) If the authority referred to in sub-rule (1) is not satisfied without requiring the presence of the Assessee/Proprietor or production of evidence that the return furnished in respect of any period is correct and complete, he shall serve a notice in Form JENT-401 on such Assessee/Proprietor requiring him on a date and at a place to be specified therein either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which the Assessee/Proprietor relies to prove the correctness of such return or to submit such other accounts, registers or documents of the Assessee/Proprietor as may be considered necessary by him for the purpose of determining the amount of tax due against the Assessee/Proprietor.
- (3) On the date specified in the notice or as soon afterwards, the case as may be, the authority referred to in sub-rule (1), after examining such evidence, as the Assessee/Proprietor may produce and such other evidence as the said authority may require on specified points shall assess the amount of tax due from the Assessee/Proprietor.
- (4) If the Assessee/Proprietor fails to file a return or having filed the return, fails to comply with all the terms of the notice issued under sub-rule 2 or to produce any evidence required under sub-rule (3), the authority referred to in sub-rule (1) shall, after giving the Assessee/Proprietor a reasonable opportunity of being heard, assess to the best of his judgment, the amount of tax, if any, due from the Assessee/Proprietor.
- 35. Notice of demand.** – If any tax is payable by a Assessee/Proprietor under the Act or the rules, the prescribed authority shall serve a notice in Form JENT-402 and shall also fix a date on which the Assessee/Proprietor shall produce the challan in proof of the payment made by him.

Fees

- 36. Fees.** – The following fees shall be payable, namely :-
- (i) Upon a memorandum of appeal against an order of assessment of tax or penalty or both. Two per cent of the amount in dispute calculated to the nearest of Rupees subject to a minimum of Rs. 100 and maximum of Rs. 1000.
 - (ii) Upon memorandum of revision against any orders. 7.5% of the amount in dispute calculated to the nearest of Rupees subject to a minimum of Rs. 200 and maximum of Rs. 2000.
 - (iii) Application for grant of a duplicate of registration under rule 5. Rs. 200.00
 - (iv) Upon any other miscellaneous

petition or petitions for relief including the following namely :-

- | | | |
|-----|--|------------|
| (a) | Application for registration of each place of entertainment. | Rs. 100.00 |
| (b) | Application for amendment of certificate of registration. | Rs. 50.00 |
| (c) | Application for permission to pay tax according to section 3(2) . | Rs. 100.00 |
| (d) | Application for extension of time limit for payment of tax assessed or the penalty imposed. | Rs. 100.00 |
| (e) | Application for extension of time limit fixed for payment of composition money under section 25. | Rs. 100.00 |
| (f) | Application for adjournment in a proceeding before any Inspecting Officer or prescribed authority. | Rs. 10.00 |
| (g) | Miscellaneous petition for relief. | Rs. 10.00 |

Provided that no fee shall be payable in respect of any application or petition filed by or on behalf of the State Government.

37. Grant of copy. – (1) If any Assessee/Proprietor wants to have a certified copy of an order concerning him passed by any prescribed authority or Inspecting Office, he shall make an application to the authority or officer concerned. The application shall bear adhesive court fee stamps of the value of rupee fifty for an ordinary copy or adhesive court fee stamps of the value of rupee hundred for an urgent copy. In addition, a searching fee of rupee five in adhesive court fee stamps shall be paid in all cases, provided that no searching fee shall be charged when papers, of which copies are required, have not been deposited in the Record Room of the prescribed authority.

(2) On receipt of the application, the Assessee/Proprietor shall be informed about the court fee stamps required, under the provisions of sub-rule (3) for the supply of the copy. On payment of the requisite amount of court fee stamps by Assessee/Proprietor or his authorised agent a certified copy of the order shall be prepared and granted to the Assessee/Proprietor.

(3) The following fee shall be payable for the grant of copies namely :-

- | | Ordinary Copy | Urgent Copy |
|---|---------------|-------------|
| (i) Copying fee for every 150 words or less of the type written document. | Rs. two | Rs. Five |
| (ii) Authentication fee. | Rs. Four | Rs. Seven |

(4) An application as prescribed in sub-rule 1 for a certified copy may be made by registered post. In such case the applicant shall be required to pay a consolidated fee of rupees fifty, irrespective of the number of words contained in the order of which the copy is desired, to cover the cost of copy,

authentication fee and postal charges. In such cases, the application shall be accompanied by a copy of the challan in Form JENT-204 showing evidence of payment of required fee in the Government Treasury.

- 38. Payment of fees.** – (1) The fees payable under clause (1) of rule 36 or under sub-rule (4) of rule 37 shall be deposited into the Government Treasury under the head “045 other taxes and duties on commodities and services, sub-head-101- Entertainment tax.”
- (2) All fees payable under the Act or these rules other than the fees, referred to in sub-rule (1) shall be paid in the court fee stamps.
- (3) No fee payable under the Act or these shall be paid in cash.

Refunds

- 39. Refunds under section 17.** – (1) Any Assessee/Proprietor desirous of obtaining a refund under section 17, shall make an application in Form JENT-501 for such refund to the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area, through the prescribed authority in rule 3, within fifteen days from the date of such entertainment.
- (2) On receipt of the application under sub-rule (1) the authority referred to in sub-rule (1), after making such enquiry, as he deems fit, forward the application together with his recommendation to the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area who may, after making such enquiry, if any, as he thinks fit, allow or reject the claim for the refund.
- (3) If a refund is allowed, the Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area shall direct the prescribed authority in rule 3 to issue a refund payment order.
- 40. Refund other than refund under section 17.** – If the prescribed authority in rule 3 is satisfied upon claim made in this behalf, that tax has been paid by or on behalf of any Assessee/Proprietor which was not properly chargeable, or was in excess of the amount which was properly chargeable, the said authority shall allow a refund of the amount so paid or amount paid in excess to such Assessee/Proprietor or in the case of death of such Assessee/Proprietor, to his legal representative:
Such claim to be made in this behalf shall be in Form JENT-502.
Provided that no claim for the refund of any tax or penalty shall be entertained, unless it is made within six months from the date of the service of the notice of excess payment.
- 41. Refund payment order.** – When an order of refund has been passed under rule 16 or rule 39 or rule 40, the prescribed authority in rule 3 shall issue a refund payment order in Form JENT-503 and forward it to the Assessee/Proprietor for encashment at the Government Treasury. A copy of the Refund payment order shall also be forwarded simultaneously to the Treasury Officer concerned.

Service of Notice

- 42. Service of Notice.** – (1) Notice under the Act or the rules may be served by any of the following methods, namely;
- (i) by delivering or rendering a copy of the notice to the addressee or to any adult male member of his family residing with him or to his manager, if any, declared under sub-rule (6) of rule 3 of these Rules; or

- (ii) by post or by Speed post; or
- (iii) by such courier services as approved by the Commissioner or the Joint Commissioner (Administration) In-charge of the division concerned; or
- (iv) by fax, by e-mail services or by any other electronic means.

Provided that if upon an attempt having been made to serve any such notice by any of the mentioned methods, the prescribed authority is satisfied that the addressee is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the notice cannot be served by any of the above mentioned methods the said officer shall order the service of the notice by affixing a copy of such notice on some conspicuous part of the addressee's office or of the building in which his office or entertainment is located, or where the addressee habitually resides or upon some conspicuous part of any residence or entertainment or office last noticed by the addressee and such service shall be as effectual as if it has been made on the addressee personally.

(2) When the serving officer delivers or tenders a copy of the notice to the addressee personally or to his agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgment of service endorsed on the original copy of the notice. When the notice is served by affixing a copy thereof in accordance with the proviso to sub-rule (1), the serving officer shall return the original to the prescribed authority who issued the notice with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he affixed the copy, the circumstances under which he did so and the name and address of the person, if any, by whom the office of the addressee was or the building in which his office or entertainment is or was located or the residence was identified and in whose presence the copy was affixed. The serving officer shall also require the signature or thumb impression of the person identifying the office, the building, or the residence of the addressee on his report.

(3) When service is made by post/courier, the service shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting by registered post/courier and unless the contrary is proved, the service shall be deemed to have been effected at the time at which the notice would be delivered in the ordinary course of post.

(4) When service is made by fax, by e-mail service or by any other electronic means, the service shall be deemed to have been effected by applying said electronic procedures.

(5) The authority at whose instance the notice was issued shall, if he is satisfied from the report of the serving officer or the postal acknowledgement or any electronic means or by taking such evidence as he deems proper that the notice has been served in accordance with this rule, record an order to that effect. If he is not satisfied that the notice has been properly served, he may after recording an order to that effect direct the issue of a fresh notice.

Prosecution and Payment of Composition Money

- 43. Sanction for institution of a prosecution.** – No prosecution under the Act or these rules shall be instituted except with the previous sanction of the commissioner or any officer specially empowered by the state Government either generally or for any specified area.
- 44. Composition of offences under section 17.** – (1) when the Commissioner or any officer specially empowered by the state Government, either generally or for any specified area accepts under section 25 a required sum from any Assessee/Proprietor by way of composition of any offence, he shall issue an

order in form JENT-601 directing the Assessee/Proprietor to deposit in the Government Treasury the amount of composition money within the period mentioned therein. A copy of the order may be sent simultaneously to the prescribed authority in rule 3 and the treasury officer for information.

(2) The Commissioner or any officer specially empowered by the State Government either generally or for any specified area shall fix a date on which the Assessee/Proprietor shall produce before the authority prescribed in rule 3 receipted challan in proof of payment.

Miscellaneous

- 45. Provisions as to persons admitted who have some duty to perform.** – No person, other than the prescribed authority, the Inspecting Officer, and members of the managerial staff of the Assessee/Proprietor, shall be admitted to an entertainment on the ground that he has some duty to perform in the premises, unless he carried a badge denoting his rank, work or profession.
- 46. Producing of tickets.** – Any officer authorised by the State Government under section 18 or the authority prescribed under rule 2(g) may require any person who has been admitted to an entertainment to produce ticket or complimentary ticket or the badge entitling him to be admitted to the entertainments.

Penal Provision

- 47. Punishment.** – Any person contravening any provision of the rules shall be punishable with fine which may extend to Two thousand rupees.
- 48. Application of Jharkhand Value Added Tax Rules, 2006** – In the circumstances where there is no rules provided under these Rules, the provisions of rules contained in Jharkhand Value Added Tax Rules 2006 shall apply mutatis mutandis.
- 49. Repeal and Savings –**

(1) From the date of enforcement of the “Jharkhand Entertainment Tax Rules, 2013”, previous Rules if any is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done any action taken under the said rules shall be deemed to have been done or taken under corresponding present Rules.

(File No. Va Kar 1/Mano Kar/02/2012/4062 अनु०)

By the order of the Governor of Jharkhand,

M. R. Meena,

Secretary-cum-Commissioner,
Commercial Taxes Department,
Jharkhand, Ranchi.